अध्याय 01 : सं वधान का परिचय (Introduction to Constitution)

📘 सं वधान (Constitution)

🏛️ सरकार के अंग (Organs of Government)

🗂️ सं वधान का वर्गीकरण (Classification of the Constitution)

🗳️ लोकतंत्र (Democracy)

⚖️ व भन्न शासन प्रणा लयां (Various Systems of Government)

** भारतीय सं वधान की मुख्य वशेषताएं (Salient Features of Indian Constitution)

🤝 भारत में संघवाद (Federalism in India)

📑 12 अनुसू चयां (12 Schedules)

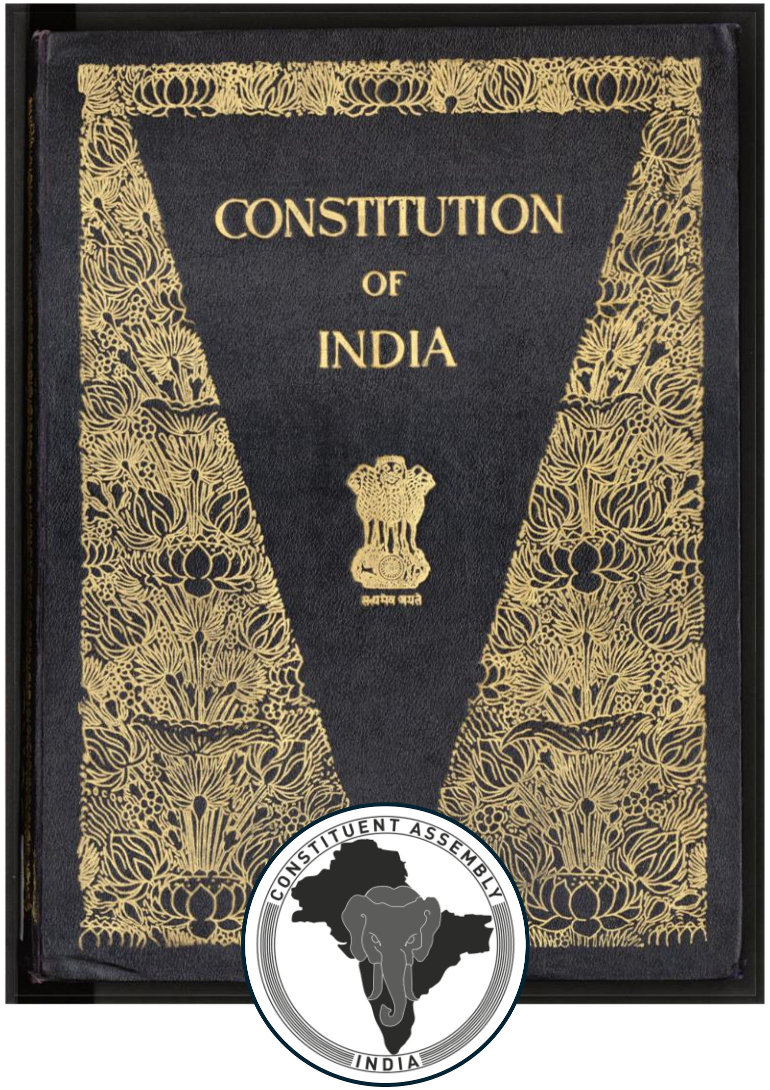

सं वधान (Constitution)

- **सं वधान (Constitution)** → कसी राज्य की व्यवस्था के संचालन हेतु नि र्मत **मूलभूत कानूनों का समुच्चय**
  - उद्देश्य → सरकार की **शक्तियों को परिभा षत और सी मत** करना
- सं वधानवाद (Constitutionalism) → सरकार की **शक्तियाँ असी मत नहीं होतीं**, बल्कि वह देश के **सर्वोच्च कानून (सं वधान) द्वारा सी मत** और नियंत्रित होती है।
- **Constitution** → **Fundamental laws** governing a state and limiting government power.
  - Objective → To define and **limit the powers** of government.
- **Constitutionalism** → The authority of a government is derived from and strictly limited by constitution

सरकार के अंग (Organs of Government)

वधायिका : व ध निर्माण (Legislature : Law making)

केंद्र (Union)

- संसद (79)
- Parliament (79)

राज्य (State)

- वधानमंडल (168)
- Legislature (168)

कार्यपा लका : व धयों का क्रयान्वयन (Executive : Implementation)

केंद्र (Union)

- राष्ट्रपति (52)
- उपराष्ट्रपति (63)
- मंत्रिपरिषद (74)

राज्य (State)

- राज्यपाल (153)
- मंत्रिपरिषद (163)
- मुख्यमंत्री (164)

न्यायपा लका : व धयों की व्याख्या, संरक्षण व न्याय (Judiciary : Interpretation of laws, protection and justice)

- ☼ एकीकृत (Integrated) और परा मडनुमा (Hierarchical)
- ☼ सर्वोच्च न्यायालय (124)
- ☼ उच्च न्यायालय (214)
- ला न्यायालय (233)

शक्ति पृथक्करण का सद्धांत (Separation of Powers) → फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू

सं वधान का वर्गीकरण (Classification of the Constitution)

- **उत्प त्त के आधार पर (Based on origin)**
  - वक सत Evolved
  - नि र्मत Enacted
- **लेखन के आधार पर (Based on writing)**
  - ल खत Written
  - अ ल खत Unwritten
- **परिवर्तनीयता के आधार पर (Based on convertibility)**
  - नमनीय Flexible
  - कठोर Rigid

EVOLVE

DEVELOPED

WRITTEN

UNWRITTEN

FLEXIBLE

RIGID

ल खत (Written)

- कसी व शष्ट निकाय द्वारा नि र्मत संहिताबद्ध दस्तावेज
- उदाहरण :
  - ≈ **USA =** वश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा ल खत सं वधान (निर्माण : 1787, लागू: 1789, 7 अनुच्छेद)।
  - ≈ **मोनाको =** शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा सं वधान
  - ≈ **भारत =** वश्व का सबसे बड़ा और वस्तृत ल खत सं वधान (395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसू चयाँ)।
  - ≈ **मेइजी (जापान) =** ए शया का सबसे पुराना आधुनिक सं वधान (1889)

ल खत (Written)

- A codified document framed and adopted by a specific body.
- Examples :
  - ≈ USA : The world's oldest and the shortest written constitution. Drafted: 1787 | inforce: 1789 | Total: 7 Articles
  - ≈ Monaco : The world's shortest constitution in terms of the number of words.
  - ≈ India : The world's lengthiest and most detailed written constitution. → 395 Articles, 22 Parts, and 8 Schedules.
  - ≈ Meiji Constitution (Japan) : The oldest modern constitution in Asia, (1889)

अ ल खत (Unwritten)

- परंपराओं, कानूनों और निर्णयों पर आधारित
- यह प्रकृति में अ धक लचीला (flexible) होता है।
- उदाहरण :
  - ≈ **ब्रिटेन**
  - ≈ **न्यूजीलैंड**
  - ≈ **इज़राइल**
  - ≈ सऊदी अरब (Saudi Arabia)

अ ल खत (Unwritten)

- A constitution based on conventions, laws, judicial decisions, and established practices.
- It is generally more flexible in nature.
- Examples :
  - ≈ **United Kingdom**
  - ≈ **New Zealand**
  - ≈ **Israel**
  - ≈ **Saudi Arabia**

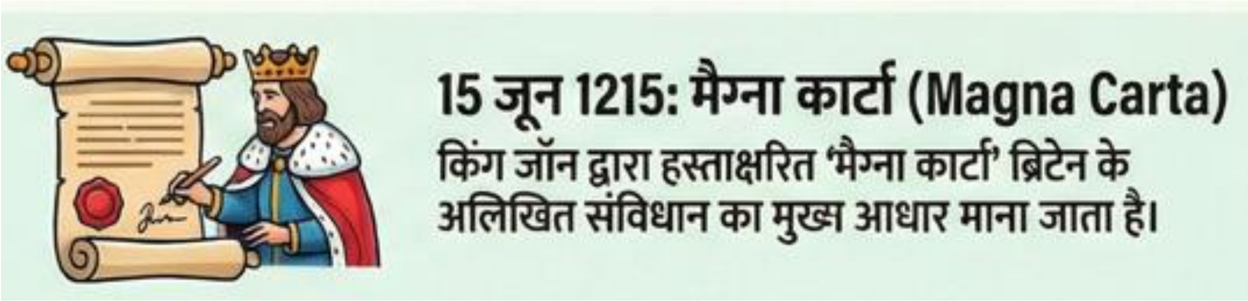

भारतीय संविधान: तब और अब

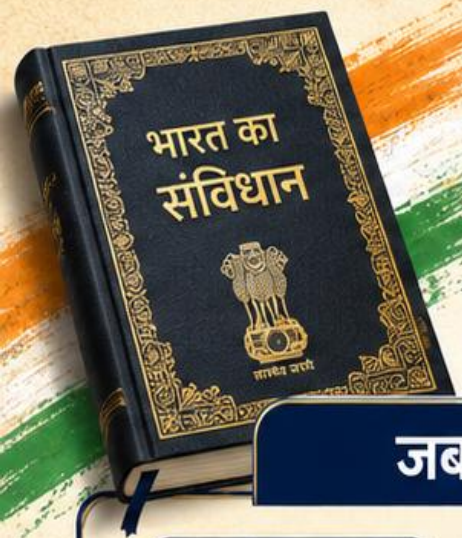

मूल संविधान बनाम वर्तमान संविधान

सत्यमेव जयते

जब संविधान बना था (1950)

अनुच्छेद	अनुसूचियाँ	भाग
395	8	22

वर्तमान संविधान

अनुच्छेद	अनुसूचियाँ	भाग
448	12	25

हटाए गए भाग

- **भाग VII** – प्रथम अनुसूची के भाग B के राज्य
- **पुराना भाग IX** – प्रथम अनुसूची के भाग D के राज्य/अन्य क्षेत्र

जोड़े गए भाग

- **भाग IVA** – मौलिक कर्तव्य
- **भाग IX** – पंचायतें
- **भाग IXA** – नगरपालिकाएँ
- **भाग IXB** – सहकारी समितियाँ
- **भाग XIVA** – अधिकरण

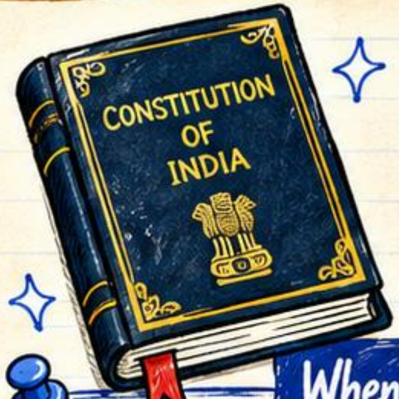

Indian Constitution: Then and Now

Original Constitution vs Present Constitution

When the Constitution came into force (1950)

Articles	Schedules	Parts
395	8	22

Present Constitution

Articles	Schedules	Parts
448	12	25

Removed Parts

- Part VII – States in Part B of the First Schedule
- Old Part IX – Territories in Part D of the First Schedule and other territories not specified in that Schedule

Added Parts

- ☑ Part IVA – Fundamental Duties
- ☑ Part IX – Panchayats
- ☑ Part IXA – Municipalities
- ☑ Part IXB – Co-operative Societies
- ☑ Part XIVA – Tribunals

Note: Some books and sources mention the present number of Articles as about 470; here, the commonly used exam-oriented count of 448 is shown.

लोकतंत्र (Democracy)

- **लोकतंत्र**
  - एक ऐसी शासन प्रणाली, जिसमे सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होत
  - **लंकन** - "जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लए शासन "

- **प्रकार**
  - प्रत्यक्ष (Direct) → स्विट्जरलैण्ड
    - जनमत संग्रह (Referendum)
    - पहल (Initiative)
    - वापस बुलाने का अ धकार (Recall)
    - जनमत सर्वेक्षण (Plebiscite)
  - अप्रत्यक्ष या प्रतिनि ध (Indirect)
    - अत्या धक प्रच लत
    - भारत, USA, UK आदि

शक्ति पृथक्करण का सद्धांत (Separation of Powers) → फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू

"GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE, SHALL NOT PERISH FROM THE EARTH."

~ ABRAHAM LINCOLN

व भन्न शासन प्रणा लयां (Various Systems of Government)

संसदीय (वेस्ट मंस्टर) Parliamentary (Westminster)

- ब्रिटेन (UK)
- भारत
- जर्मनी
- इटली
- जापान

अध्यक्षीय Presidential

- USA
- ब्राजील
- श्रीलंका

एकात्मक Unitary

- ब्रिटेन (UK)
- फ्रांस
- चीन
- जापान

संघीय Federal

- USA
- कनाडा
- भारत

शासन प्रणाली	परिभाषा	उदाहरण
संसदीय	इस प्रणाली में कार्यपालिका (सरकार) अपनी वैधता विधायिका (संसद) से प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) और राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति या राजा) अलग-अलग होते हैं।	• ब्रिटेन (UK) • भारत • जर्मनी • इटली • जापान
अध्यक्षीय	इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इसमें राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है और वही राज्य तथा सरकार दोनों का वास्तविक प्रमुख होता है।	• USA • ब्राज़ील • श्रीलंका
एकात्मक	इस प्रणाली में शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती है।	• ब्रिटेन • फ्रांस • चीन • जापान
संघीय	इस प्रणाली में सत्ता का स्पष्ट विभाजन एक केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है।	• USA • कनाडा • भारत

Form of Government	Definition	Examples
Parliamentary	In this system, the executive (government) derives its legitimacy from the legislature (parliament) and is accountable to it. The head of government (Prime Minister) and the head of state (President or Monarch) are separate.	• United Kingdom (UK) • India • Germany • Italy • Japan
Presidential	In this system, the executive and the legislature are completely independent of each other. The President is directly elected and serves as the real head of both the state and the government.	• USA • Brazil • Sri Lanka
Unitary	In this system, the entire governing power is concentrated in the hands of a single central government.	• United Kingdom (UK) • France • China • Japan
Federal	In this system, powers are clearly divided by the Constitution between a central government and various state governments.	• USA • Canada • India

भारतीय सं वधान की मुख्य वशेषताएं (Salient features of Indian Constitution)

1. सबसे लंबा लिखित संविधान — Longest Written Constitution
2. विभिन्न स्रोतों से विहित — Drawn from Various Sources
3. नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय — Blend of Flexibility and Rigidity
4. एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था — Federal System with Unitary Bias

5. सरकार का संसदीय रूप — Parliamentary Form of Government
6. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय — Balance between Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy
7. एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका — Integrated and Independent Judiciary
8. मौलिक अधिकार — Fundamental Rights

9. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत — Directive Principles of State Policy
10. मौलिक कर्तव्य — Fundamental Duties
11. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य — A Secular State
12. सार्वभौम वयस्क मताधिकार — Universal Adult Franchise

13. एकल नागरिकता — Single Citizenship
14. आपातकालीन प्रावधान — Emergency Provisions
15. त्रिस्तरीय सरकार — Three-tier Government
16. सहकारी समितियां — Cooperative Societies

भारत में संघवाद (Federalism in India)

"संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का वभाजन एक केंद्रीय प्रा धकरण और उसकी व भन्न घटक इकाइयों, जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच होता है।"

Federalism is a system of government where power is shared between a central and its constituent units.

अनुच्छेद 1 → भारत, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा || Article 1 → India, that is Bharat, shall be a Union of States.

संघीय प्रावधान (Federal Features)
द्वैध सरकार (Dual Government)
शक्तियों का वभाजन (Division of Powers)
ल खत और सर्वोच्च सं वधान (Witten Constitution)
स्वतंत्र न्यायपा लका (Independent Judiciary)
द् वसदनीय व्यवस्था (Bicameralism)
सं वधान की कठोरता (Rigidity)

एकात्मक प्रावधान (Unitary Features)
सशक्त केंद्र (Strong Centre) : अव शष्ट शक्तियां केंद्र के पास
एकल नागरिकता (Single Citizenship)
एकल सं वधान (Single Constitution)
एकीकृत न्यायपा लका (Integrated Judiciary)
आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)
सं वधान का लचीलापन (Flexibility)
राज्यपाल की नियुक्ति और अ खल भारतीय सेवाएँ

भारतीय संघवाद पर प्रमुख विद्वान और अवधारणाएं

SCHOLARS, TERMINOLOGY & KEY BOOKS ON INDIAN FEDERALISM

विद्वान (Scholar)	शब्दावली (Terminology)	मुख्य पुस्तक (Key Book)
मौरिस जोन्स Morris Jones	सौदेबाजी वाला संघवाद Bargaining Federalism	The Government and Politics in India
ग्रानविले ऑस्टिन Granville Austin	सहकारी संघवाद Cooperative Federalism	The Indian Constitution – Cornerstone of a Nation
आइवर जेनिंग्स Ivor Jennings	केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ Centralizing tendency	Some Characteristics of the Indian Constitution
ग्रानविले ऑस्टिन Granville Austin	सहकारी संघवाद Cooperative Federalism	The Indian Constitution – Cornerstone of a Nation
पॉल एप्पलबी Paul Appleby	अत्यधिक संघीय Extremely Federal	Public Administration Public Administration in India
के.सी. ह्वेयर K.C. Wheare	अर्ध-संघीय Quasi-Federal	Federal Government

भारतीय संविधान में ‘Federation’ के बजाय ‘Union’ शब्द क्यों?

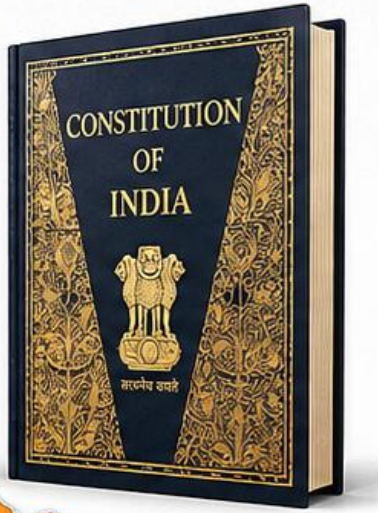

भारत के संविधान में ‘Federation’ (संघ) के बजाय ‘Union’ (यूनियन) शब्द का उपयोग जानबूझकर किया गया था।

दो मुख्य कारण

1. समझौते का परिणाम नहीं

भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते (agreement) का परिणाम नहीं है।

2. अलग होने का अधिकार नहीं (No Right to Secede)

किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

> “डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ‘विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’
> Indestructible Union of Destructible States”

सत्यमेव जयते

Why was the word 'Union' used instead of 'Federation' in the Indian Constitution?

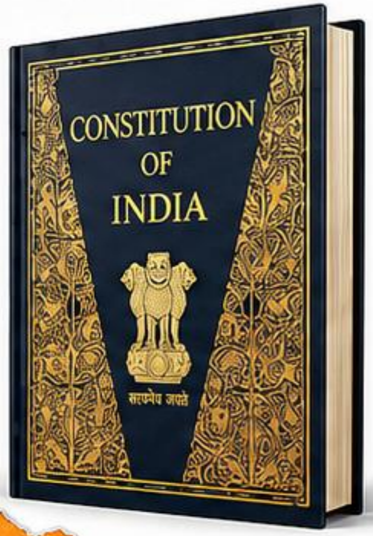

In the Constitution of India, the word 'Union' was deliberately used instead of 'Federation'.

Two Main Reasons

1. Not the Result of an Agreement

India's Union is not the result of any agreement among the states.

2. No Right to Secede

No state has the right to separate from the Union.

"Dr. B. R. Ambedkar: 'An Indestructible Union of Destructible States'"

-: जुंटा (Zunta) शासन :-

- 'जुंटा' का अर्थ है "सैन्य सरकार"।
- यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ कसी देश की सत्ता पर सेना के अ धकारियों का एक समूह कब्जा कर लेता है और जबरन शासन चलाता है।
- यह कसी एक तानाशाह का शासन होने के बजाय सेना के वरिष्ठ अ धकारियों का एक समूह (Committee) होता है।
- वर्तमान में म्यांमार इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है

भारतीय सं वधान : 12 अनुसू चयां (Indian Constitution : 12 Schedules)

- भारतीय सं वधान में मूल रूप से **8 अनुसू चयां**
- आज कुल **12 अनुसू चयां**

- The Constitution originally had 8 schedules.
- Today, there are a total of 12 schedules.

अनुसूची (Schedule)	संविधान संशोधन (Constitutional Amendment)	वर्ष (Year)	विषय / उद्देश्य (Subject / Purpose)
1 9वीं अनुसूची Ninth Schedule	पहला संविधान संशोधन First Constitutional Amendment	1951	भूमि सुधार कानूनों आदि को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए To protect land reform laws etc. from judicial review
2 10वीं Tenth	52वां संविधान संशोधन 52nd Constitutional Amendment	1985	दल-बदल विरोधी कानून Anti-defection law
3 11वीं Eleventh	73वां संविधान संशोधन 73rd Constitutional Amendment	1992	पंचायती राज से संबंधित 29 विषय 29 subjects related to Panchayati Raj
4 12वीं Twelfth	74वां संविधान संशोधन 74th Constitutional Amendment	1992	नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय 18 subjects related to Municipalities

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

12 Schedules of the Indian Constitution

1 प्रथम अनुसूची
First Schedule

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

States and Union Territories

2 द्वितीय अनुसूची
Second Schedule

राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन-भत्ते

Salaries and Allowances of President, Governors etc.

3 तृतीय अनुसूची
Third Schedule

शपथ और प्रतिज्ञान

Forms of Oaths and Affirmations

4 चतुर्थ अनुसूची
Fourth Schedule

राज्यसभा में सीटों का आवंटन

Allocation of Seats in the Rajya Sabha

5 पंचम अनुसूची
Fifth Schedule

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन

Administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

6 षष्टम अनुसूची
Sixth Schedule

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

Administration of Tribal Areas in Assam, Meghaalya, Tripura and Mizoram

7 सप्तम अनुसूची
Seventh Schedule

संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ

Union, State and Concurrent Lists

8 अष्टम अनुसूची
Eighth Schedule

मान्यता प्राप्त भाषाएँ

Recognized Languages

9 नवम अनुसूची
Ninth Schedule

कुछ अधिनियम और विनियम

Certain Acts and Regulations

10 दशम अनुसूची
Tenth Schedule

दल-बदल निरोधक प्रावधान

Anti-Defection Provisions

11 एकादश अनुसूची
Eleventh Schedule

पंचायतें

Panchayats

12 द्वादश अनुसूची
Twelfth Schedule

नगरपालिकाएँ

Municipalities

मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। | Originally there were 8 Schedules; at present there are 12 Schedules.

पहली **(First)**	∆ राज्यों और केंद्र शा सत प्रदेशों के **नाम, सीमाएं तथा न्यायिक क्षेत्र** ∆ राज्यों के **निर्माण व सीमा परिवर्तन के समय संशो धत** ∆ **Names, boundaries, and jurisdictions** of states and union territories ∆ Revised when states are created and boundaries are altered	**अनुच्छेद 1 और 4**

बेरुबारी यूनियन केस (1960)

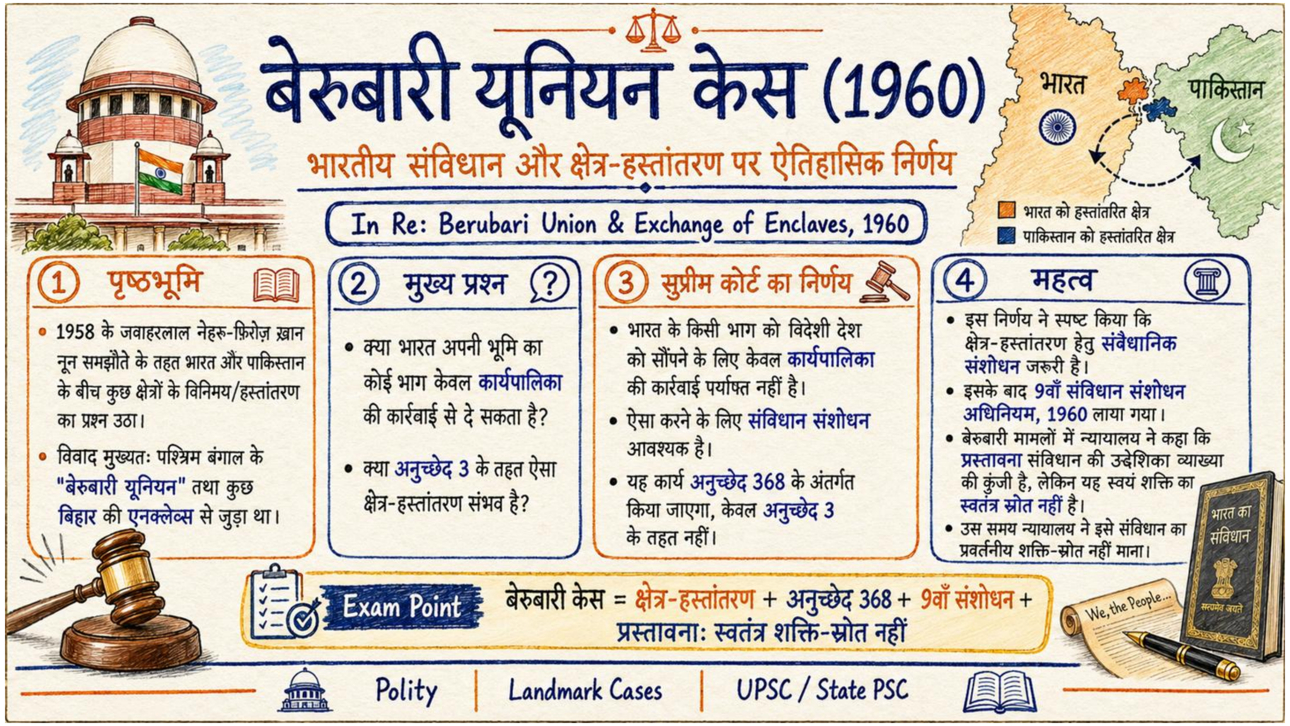

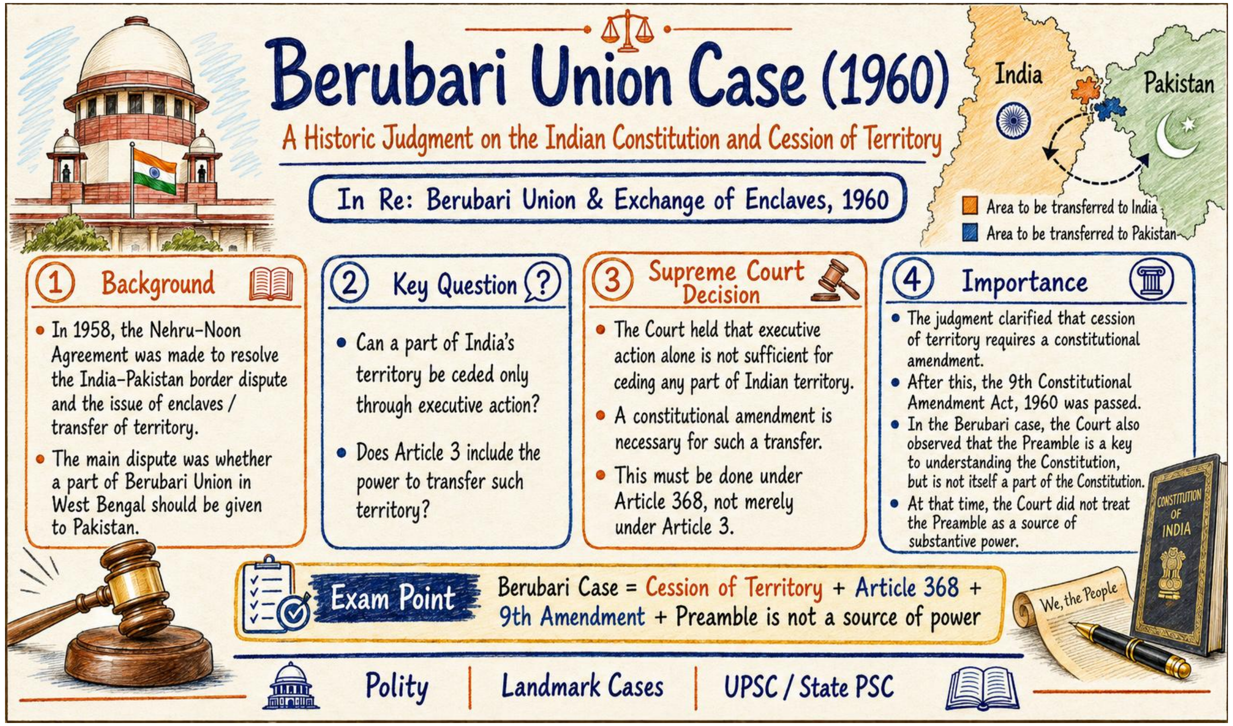

द् वतीय (Second) - वेतन, भत्ते और वशेषा धकारों (Salaries, Allowances, and Privileges)	∆ भारत के राष्ट्रपति (President of India) ∆ राज्यों के राज्यपाल (Governors of States) ∆ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (Speaker & Deputy Speaker of Lok Sabha) ∆ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति (Chairman and Deputy Chairman of the Rajya Sabha) ∆ राज्य वधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (Speaker and Deputy Speaker of State Legislative Assemblies) ∆ राज्य वधान परिषदों के सभापति और उपसभापति (Chairman and Deputy Chairman of State Legislative Councils) ∆ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Judges of the Supreme Court) ∆ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (Judges of High Courts) ∆ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG (Comptroller and Auditor General of India)	**59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 तथा 221**

तृतीय (Third) = शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूपों (Oaths or Affirmations)	∆ संघ (केंद्र) के मंत्री (Union Ministers) ∆ संसद के चुनाव हेतु उम्मीदवार (Candidates for election to Parliament) ∆ संसद के सदस्य (Members of Parliament - MPs) ∆ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Judges of the Supreme Court) ∆ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ∆ राज्यों के मंत्री (State Ministers) ∆ राज्य वधानमंडल के चुनाव हेतु उम्मीदवार (Candidates for election to the State Legislature) ∆ राज्य वधानमंडल के सदस्य (Members of the State Legislature - MLAs/MLCs) ∆ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश (Judges of the High Courts)	**75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188,**

महत्वपूर्ण अपवाद (Exclusions) → राष्ट्रपति (अनुच्छेद 60) + उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 69) + राज्यपाल (अनुच्छेद 159)

Important Exclusions → Président (Article 60) + Vice-Président (Article 69) + Governor (Article 159)

चतुर्थ (4)	∆ राज्यों और केंद्र शा सत प्रदेशों को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या ∆ Allocation of seats in the Rajya Sabha	4(1) और 80(2)

सर्वा धक राज्यसभा सीटें वाले राज्य = उत्तर प्रदेश (31 सीटें) → महाराष्ट्र (19 सीटें) → त मलनाडु (18 सीटें)

पांचवीं अनुसूची (Fifth Schedule)	∆ अनुसू चत क्षेत्रों और अनुसू चत जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण (Administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes) ∆ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम को छोड़कर (Except for Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram)	अनुच्छेद : 244(1)

जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council - TAC)

छठी अनुसूची (Sixth Schedule)	∆ **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम (AMTM)** राज्यों के **जनजातीय क्षेत्रों** के प्रशासन के लए स्वायत्त जिला परिषद (ADC) और क्षेत्रीय परिषद का गठन। ∆ Constitution of Autonomous District Councils (ADCs) and administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram (AMTM). ∆ ADC की शक्ति के निलंबन या वघटन का अंतिम अ धकार राज्यपाल के पास होता है।	अनुच्छेद : 244(2) और 275(1)

शपथ (Oath) बनाम प्रतिज्ञान (Affirmation)

विशेषता (Feature)	शपथ (Oath)	प्रतिज्ञान (Affirmation)
आधार (Basis)	यह ईश्वर या किसी सर्वोच्च शक्ति पर आधारित होती है। व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता है।	यह व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा, नैतिकता और सत्यनिष्ठा (Integrity) par आधारित होता है।
शब्दावली (Wording)	इसकी शुरुआत "मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ..." (I swear in the name of God...) से होती है।	इसकी शुरुआत "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ..." (I solemnly affirm...) से होती है।
किसके लिए (For whom)	यह मुख्य रूप से आस्तिक (Theists) लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं।	यह नास्तिकों (Atheists), अज्ञेयवादियों या उन लोगों के लिए है जिनकी धार्मिक मान्यताएँ उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं देतीं।
प्रकृति (Nature)	इसका स्वरूप धार्मिक (Religious) होता है।	इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष (Secular) होता है।

Oath vs Affirmation

Feature	Oath	Affirmation
Basis	It is based on God or a supreme power. A person makes a promise considering God as a witness.	It is based on a person's own conscience, morality, and integrity.
Wording	It begins with: "I swear in the name of God..."	It begins with: "I solemnly affirm..."
For whom	It is mainly for theists who believe in God.	It is for atheists, agnostics, or those whose religious beliefs do not permit them to take an oath.
Nature	Its nature is religious.	Its nature is secular.

सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)	Δ **शक्तियों का वभाजन (तीन सू चयां)** Δ संघ सूची (Union List) → **मूल 97 वषय** (वर्तमान में 100)। Δ राज्य सूची (State List) → **मूल 66 वषय** (वर्तमान में 61)। Δ समवर्ती सूची (Concurrent List) → **मूल 47 वषय** (वर्तमान में 52)।	**अनुच्छेद : 246**

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1947) → 'सार और तत्व का सद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance)

सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)	Δ **Division of Powers (Three Lists)** Δ Union List → Originally **97 subjects** (currently 100). Δ State List → Originally **66 subjects** (currently 61). Δ Concurrent List → Originally **47 subjects** (currently 52).	**अनुच्छेद : 246**

Prafulla Kumar Mukherjee v. Bank of Commerce (1947) → 'Doctrine of Pith and Substance'

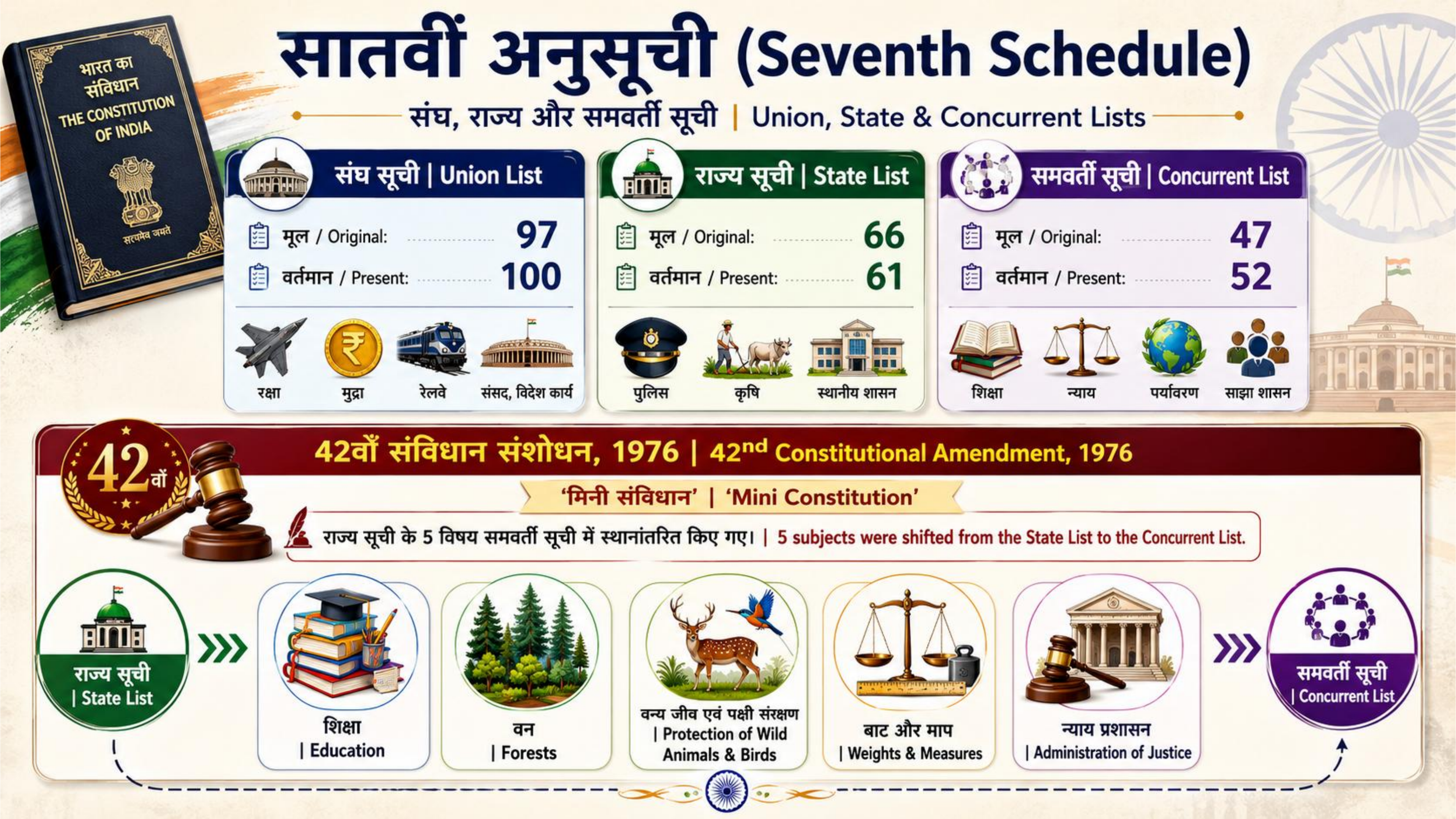
भारत का संविधान
THE CONSTITUTION OF INDIA
सत्यमेव जयते
सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)
संघ, राज्य और समवर्ती सूची | Union, State & Concurrent Lists
संघ सूची | Union List
मूल / Original: 97
वर्तमान / Present: 100
रक्षा
मुद्रा
रेलवे
संसद, विदेश कार्य
राज्य सूची | State List
मूल / Original: 66
वर्तमान / Present: 61
पुलिस
कृषि
स्थानीय शासन
समवर्ती सूची | Concurrent List
मूल / Original: 47
वर्तमान / Present: 52
शिक्षा
न्याय
पर्यावरण
साझा शासन
42वीं
42वाँ संविधान संशोधन, 1976 | 42nd Constitutional Amendment, 1976
'मिनी संविधान' | 'Mini Constitution'
राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। | 5 subjects were shifted from the State List to the Concurrent List.
राज्य सूची | State List
शिक्षा | Education
वन | Forests
वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण | Protection of Wild Animals & Birds
बाट और माप | Weights & Measures
न्याय प्रशासन | Administration of Justice
समवर्ती सूची | Concurrent List

क्र./ No.	विषय (Hindi)	Subject (English)
1	रक्षा	Defense
2	विदेशी मामले	Foreign Affairs
3	मुद्रा और सिक्का ढलाई	Currency and Coinage
4	बैंकिंग और बीमा	Banking and Insurance
5	रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और वायुमार्ग	Railways, National Highways, and Airways
6	परमाणु ऊर्जा	Atomic Energy
7	जनगणना	Census
8	नागरिकता	Citizenship
9	डाक और तार / दूरसंचार	Post and Telegraph / Telecommunications
10	युद्ध और शांति	War and Peace

क्र./ No.	विषय (Hindi)	Subject (English)
1	लोक व्यवस्था (सार्वजनिक व्यवस्था)	Public Order
2	पुलिस	Police
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता	Public Health and Sanitation
4	कृषि	Agriculture
5	स्थानीय प्रशासन (पंचायत और नगर पालिका)	Local Government (Panchayats & Municipalities)
6	कारागार (जेल)	Prisons
7	राज्य लोक सेवाएँ	State Public Services
8	शराब / मदिरा	Liquor / Intoxicating Liquors
9	भूमि और भू-राजस्व	Land and Land Revenue
10	बाजार और मेले	Markets and Fairs

क्र./ No.	विषय (Hindi)	Subject (English)
1	शिक्षा	Education
2	वन	Forests
3	विवाह और तलाक	Marriage and Divorce
4	आपराधिक कानून और प्रक्रिया	Criminal Law and Procedure
5	वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण	Protection of Wild Animals and Birds
6	श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन)	Trade Unions
7	आर्थिक और सामाजिक योजना	Economic and Social Planning
8	बिजली (विद्युत)	Electricity
9	जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन	Population Control and Family Planning
10	समाचार पत्र, पुस्तकें और प्रिंटिंग प्रेस	Newspapers, Books, and Printing Presses

सातवीं अनुसूची का आधार एवं संसद की राज्य सूची पर विधायी शक्ति

1. सातवीं अनुसूची का आधार

- अनुच्छेद 246(1) - संघ सूची (Union List)
- अनुच्छेद 246(2) - समवर्ती सूची (Concurrent List)
- अनुच्छेद 246(3) - राज्य सूची (State List)
- अवशिष्ट शक्तियों का आधार : अनुच्छेद 248

संविधान में 5 ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ दी गई हैं, जब भारत की संसद (केंद्र सरकार) राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है

① राष्ट्रहित में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर (अनुच्छेद 249)

यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (2/3 majority) से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विशिष्ट विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है।

② राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने पर (अनुच्छेद 250)

जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू होता है, तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने का सर्वाधिकार मिल जाता है।

③ दो या अधिक राज्यों के आपसी सहमति (अनुरोध) पर (अनुच्छेद 252)

यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके संसद से यह अनुरोध करें कि वह राज्य सूची के किसी अमुक विषय पर उनके लिए कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है।

④ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों को लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253)

⑤ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर (अनुच्छेद 356)

NOTE

★ **अनुच्छेद 254(1)** : यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के विरोध या टकराव (repugnancy) में है, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून (संघीय कानून) ही मान्य होगा।

★ **एक महत्वपूर्ण अपवाद (अनुच्छेद 254(2))** : यदि राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे राष्ट्रपति की सहमति (President's Assent) प्राप्त हो गई है, तो वह कानून उस विशेष राज्य में लागू रहेगा, भले ही वह संघीय कानून के विरोध में हो।

Basis of the Seventh Schedule and Parliament's Legislative Power over the State List

1. Basis of the Seventh Schedule

- Article 246(1) – Union List
- Article 246(2) – Concurrent List
- Article 246(3) – State List
- Basis of Residuary Powers: Article 248

The Constitution provides 5 exceptional situations in which the Parliament of India (Central Government) can make laws on subjects in the State List

1. When the Rajya Sabha passes a resolution in the national interest (Article 249)

If the Rajya Sabha passes a resolution by a two-thirds majority of the members present and voting that it is necessary in the national interest for Parliament to make a law on a specified subject in the State List, Parliament can make such a law.

2. During a National Emergency (Article 250)

When a National Emergency is in operation, Parliament gets the power to make laws on any subject in the State List for the whole of India or any part of it.

3. On the request / consent of two or more States (Article 252)

If the legislatures of two or more States pass resolutions requesting Parliament to make a law on a particular subject in the State List for those States, Parliament may do so.

4. To implement international agreements and treaties (Article 253)

5. When President's Rule is imposed in a State (Article 356)

★ **Article 254(1)**: If a law made by a State Legislature on a subject in the Concurrent List is inconsistent or repugnant to a law made by Parliament, then the law made by Parliament (Union law) shall prevail.

★ **Important Exception – Article 254(2)**: If a law made by a State Legislature has been reserved for the consideration of the President and has received the President's assent, then that law will remain in force in that particular State, even if it is inconsistent with the Union law.

अष्टम (8)	∆ सं वधान द्वारा मान्यता प्राप्त **22 आ धकारिक भाषाएँ → मूल रूप से 14** ∆ अस मया, बांग्ला, गुजराती, **हिंदी,** कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उ ड़या, पंजाबी, संस्कृत, त मल, तेलुगू, उर्दू ∆ 21 वां सं वधान संशोधन (1967) → संधी ∆ 71वां सं वधान संशोधन (1992) : (NaMaK) → नेपाली, म णपुरी, कोंकणी ∆ 92वां सं वधान संशोधन (2003) : (BDM-S) → बोडो, डोगरी, मै थली, संथाली	**344(1) और 351**

Eighth (8)	∆ 22 officially recognized languages by the Constitution → Originally 14 ∆ Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu ∆ 21st Constitutional Amendment (1967) → Sindhi ∆ 71st Constitutional Amendment (1992) : (NaMaK) → Nepali, Manipuri, Konkani ∆ 92nd Constitutional Amendment (2003) : (BDM-S) → Bodo, Dogri, Maithili, Santhali	**344(1) and 351**

अष्टम अनुसूची (8th Schedule)

संविधान की भाषाएँ एवं शास्त्रीय भाषाएँ

1 मुख्य तथ्य

- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं – मूल रूप से 14 ।
- यह विषय अनुच्छेद 344(1) और 351 से संबंधित है।
- English आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है।

English

English आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है !

2 मूल 14 भाषाएँ

असमिया | बांग्ला | गुजराती | हिंदी | कश्मीरी

मराठी | ओड़िया | पंजाबी | संस्कृत | उर्दू

द्रबिड़ भाषाएँ

तमिल | तेलुगू | कन्नड़ | मलयालम

3 बाद में जोड़ी गई भाषाएँ

21वाँ संशोधन (1967) ↓ सिंधी

71वाँ संशोधन (1992) ↓ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी

92वाँ संशोधन (2003) ↓ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली

4 भारत की शास्त्रीय भाषाएँ (11)

A) शास्त्रीय भाषाओं की सूची

1. तमिल
2. संस्कृत
3. तेलुगू
4. कन्नय्
5. मलयालम
6. ओड़िया
7. मराठी
8. पाली
9. प्राकृत
10. असमिया
11. बंगाली

B) शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान करने का विवरण

क्रम	भाषा	दर्जा मिलने का वर्ष	मुख्य विंदु
1	तमिल (Tamil)	2004	सबसे पहली धोषित शास्त्रीय भाषा
2	संस्कृत (Sanskrit)	2005	—
3	तेलुगू (Telugu)	2008	—
4	कन्नड़ (Kannada)	2008	—
5	मलयालम (Malayalam)	2013	—
6	ओड़िया (Odia)	2014	—
7	मराठी (Marathi)	2024	अक्टूबर 2024 में शामिल
8	पाली (Pali)	2024	अक्टूबर 2024 में शामिल (बौद्ध मंथों की मुख्य भाषा)
9	प्राकृत (Prakrit)	2024	अक्टूबर 2024 में शामिल (जैन मंथों की मुख्य भाषा)
10	असमिया (Assamese)	2024	अक्टूबर 2024 में शामिल
11	बंगाली (Bengali)	2024	अक्टूबर 2024 में शामिल

Exam Point

- आठवीं अनुसूची = 22 भाषाएँ
- शास्त्रीय भाषाएँ = 11
- 2024 में 5 नई शास्त्रीय भाषाएँ जोड़ी गई: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली

Eighth Schedule (8th Schedule)

Languages of the Constitution and Classical Languages

1 Key Facts

- The Eighth Schedule of the Constitution includes 22 languages — originally 14.
- This topic is related to Articles 344(1) and 351.
- English is not included in the Eighth Schedule.

English

English is not included in the Eighth Schedule!

2 Original 14 Languages

Assamese	Bengali	Gujarati	Hindi	Kashmiri
Marathi	Odia	Punjabi	Sanskrit	Urdu

Dravidian Languages

Tamil	Telugu	Kannada	Malayalam

3 Languages Added Later

21st Amendment (1967)	71st Amendment (1992)	92nd Amendment (2003)
↓ Sindhi	↓ Nepali, Manipuri, Konkani	↓ Bodo, Dogri, Maithili, Santhali

4 Classical Languages of India (11)

A) List of Classical Languages

1. Tamil
2. Sanskrit
3. Telugu
4. Kannada
5. Malayalam
6. Odia
7. Marathi
8. Pali
9. Prakrit
10. Assamese
11. Bengali

B) Details of Granting Classical Language Status

No.	Language	Year Granted	Key Point
1	Tamil	2004	First language to be declared classical
2	Sanskrit	2005	—
3	Telugu	2008	—
4	Kannada	2008	—
5	Malayalam	2013	—
6	Odia	2014	—
7	Marathi	2024	Included in October 2024
8	Pali	2024	Included in October 2024 (main language of Buddhist texts)
9	Prakrit	2024	Included in October 2024 (main language of Jain texts)
10	Assamese	2024	Included in October 2024
11	Bengali	2024	Included in October 2024

Exam Point

- Eighth Schedule = 22 languages
- Classical Languages = 11
- In 2024, 5 new classical languages were added: Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, Bengali

नवम (9)	∆ कुछ कानूनों को न्यायिक चुनौती से संरक्षण → प्रथम सं वधान संशोधन (1951) ∆ मूल उद्देश्य → भू म सुधार (Land Reforms) और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालतों में मौ लक अ धकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती (Judicial Review) से बचाना था।	अनुच्छेद : 31B

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (24 अप्रैल 1973) → "सं वधान के मूल ढांचे" का सद्धांत (Basic Structure Doctrine)**
- **आई.आर. कोएल्हो बनाम त मलनाड राज्य (2007) → 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून**

Ninth (9)	∆ Protection of certain laws from judicial challenge → First Constitutional Amendment (1951) ∆ Original purpose → To protect Land Reform and Zamindari Abolition laws from being challenged in courts on grounds of violation of Fundamental Rights (Judicial Review)	Article: 31B

- Kesavananda Bharati (24 April 1973) → Established the "Basic Structure Doctrine" of the Constitution
- I.R. Coelho vs. State of Tamil Nadu (2007) → A 9-judge bench unanimously ruled that any law placed in the Ninth Schedule after 24 April 1973 is not immune from Judicial Review

दशम (10)	∆ दलबदल वरोधी कानून (Anti-Defection Law) → 52वें सं वधान संशोधन (1985)	अनुच्छेद : 102(2), 191(2)
Tenth (10)	∆ Anti-Defection Law → 52nd Constitutional Amendment (1985) ∆ Members of Parliament and State Legislatures are disqualified on grounds of defection	Article: 102(2), 191(2)

एकादश (11)	∆ पंचायतों की शक्तियाँ, अ धकार और जिम्मेदारियाँ → 73वें सं वधान संशोधन (1992) ∆ इसमें 29 वषय शा मल हैं (जैसे- कृ ष, ग्रामीण वकास, पेयजल आदि)।	अनुच्छेद : 243G
Eleventh (11)	∆ Panchayats → 73rd Constitutional Amendment (1992) ∆ It includes 29 subjects (Agriculture, Rural Development, Drinking Water, etc.)	Article : 243G

द्वादश (12)	∆ नगरपा लकाओं की शक्तियाँ → 74वें सं वधान संशोधन (1992) ∆ 18 वषय → शहरी योजना, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ आदि	अनुच्छेद : 243W

Twelfth (12)	∆ Municipalities → 74th Constitutional Amendment (1992) ∆ 18 subjects → Urban planning, public health, fire services, etc.	Article : 243W

प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों का वर्तमान मासिक वेतन

केंद्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख पद

केंद्रीय स्तर

पद (Designation)	वर्तमान मासिक वेतन (मूल वेतन)	महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान / नोट
भारत के राष्ट्रपति	₹5,00,000	• संविधान के अनुच्छेद 59(3) और प्रथम अनुसूची के तहत यह भारत के समस्त क्षेत्रों का सर्वाधिक वेतन पाने वाला पद है।
राज्यसभा के सभापति (भारत के उपराष्ट्रपति)	₹4,00,000	• इन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) के रूप में वेतन मिलता है (अनुच्छेद 97)।
लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker)	₹4,00,000	• इनका वेतन उपराष्ट्रपति के समासपति के समान होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI)	₹2,80,000	• 'उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम' के तहत निर्धारित।
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	₹2,50,000	• सर्वोच्च न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों का मासिक मूल वेतन।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)	₹2,50,000	• इनका वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं (अनुच्छेद 148)।
लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)	₹1,00,000 (+ भत्ते)	• इन्हें संसद सदस्य (MP) के समान वेतन और भत्तियों, राशि ही पद के अनुसार अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएँ दी जाती हैं।
राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman)	₹1,00,000 (+ भत्ते)	• इन्हें भी लोकसभा उपाध्यक्ष की तरह ही वेतन का मूल वेतन और पद के अनुसार भत्ते एवं सुविधाएँ मिलती हैं।

राज्य स्तर

पद (Designation)	वर्तमान मासिक वेतन (मूल वेतन)	महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान / नोट
राज्यों के राज्यपाल	₹3,50,000	• अनुच्छेद 158(3) के तहत। यदि एक ही व्यक्ति दो या दो अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय अनुसार या राज्यों के बीच तय होता हैं।
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश	₹2,50,000	• देश के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को वेतन।
उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीश	₹2,25,000	• उच्च न्यायालय के अन्य अंतर न्यायाधीशों (Puisne Judges) का मासिक वेतन।
विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	राज्यों के अनुसार भिन्न	• संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत इनका वेतन संबंधित राज्य के विधायमंडल (State Legislature) द्वारा निर्धारित कानून के साथ तय होता है।
विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति	राज्यों के अनुसार भिन्न	• (जिन राज्यों में विधानपरिषद व्यवस्था है) इनका वेतन भी संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता हैं।

नोट: ऊपर दी गई राशि मूल वेतन को दर्शाती है। भत्ते, सुविधाएं और अन्य सेवा शर्तें अलग से लागू हो सकती हैं।

अध्याय 02 : सं वधान के स्रोत और भाग (Sources & Parts)

सं वधान के स्रोत (Sources of Constitution)

सं वधान के भाग (Parts of Constitution)

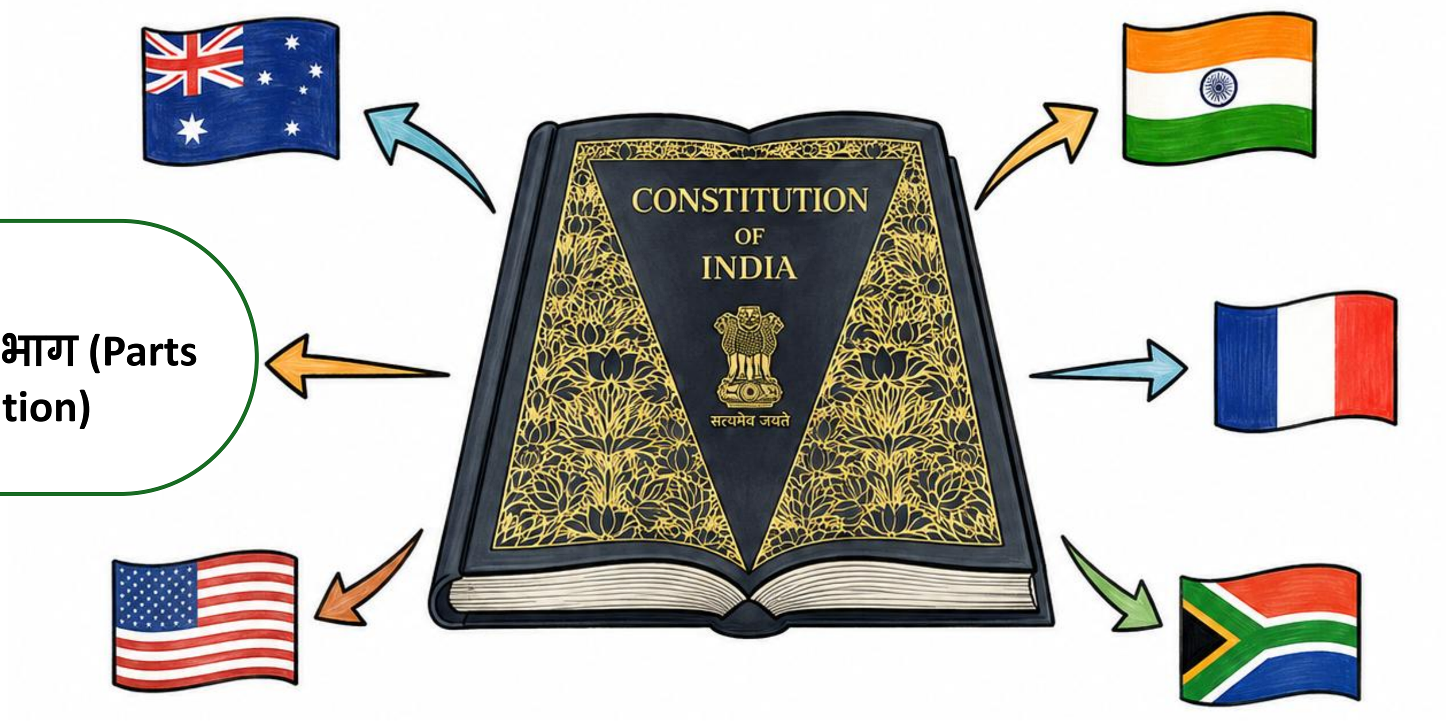

भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of the Indian Constitution)

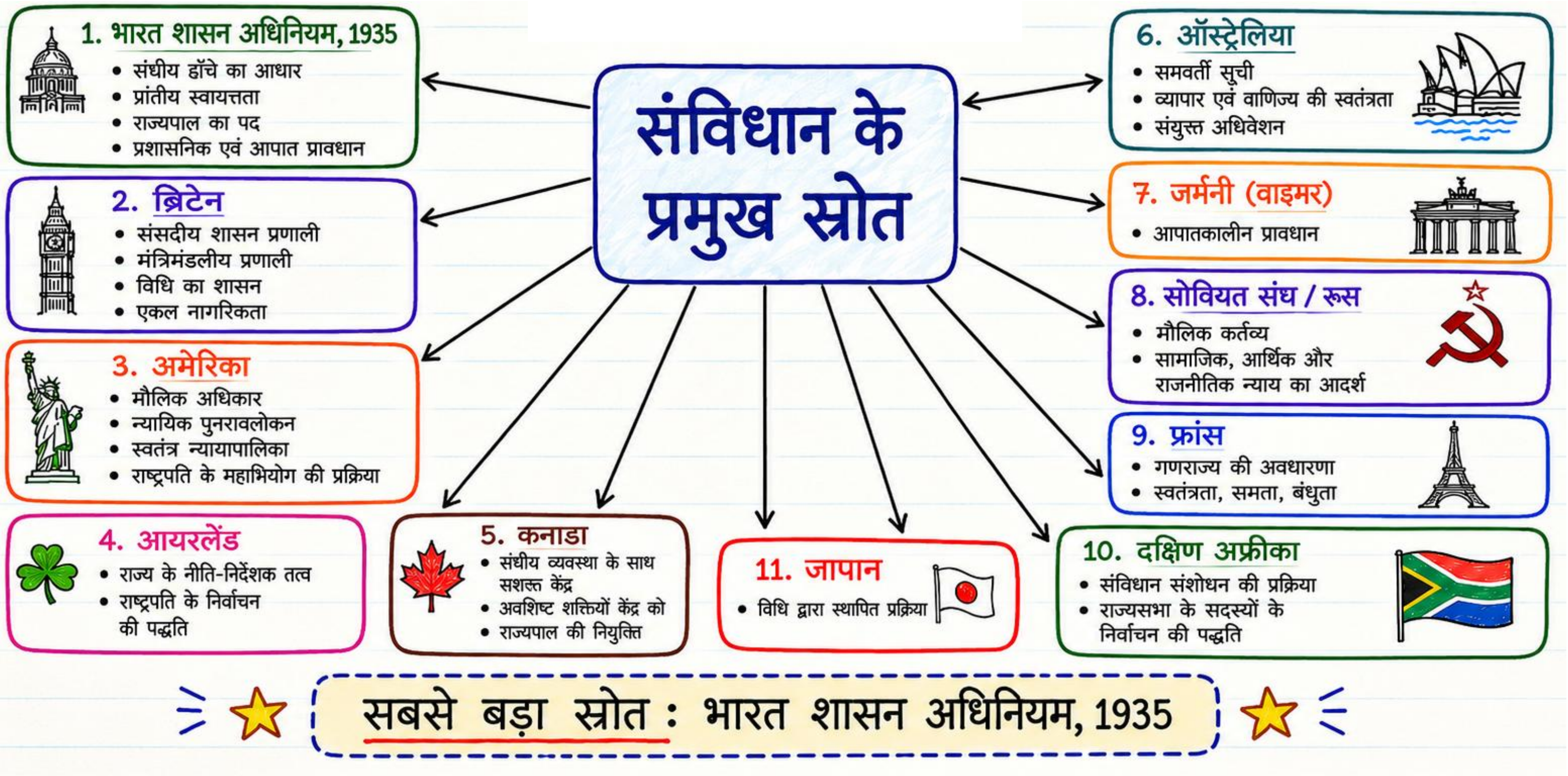

भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of the Indian Constitution)

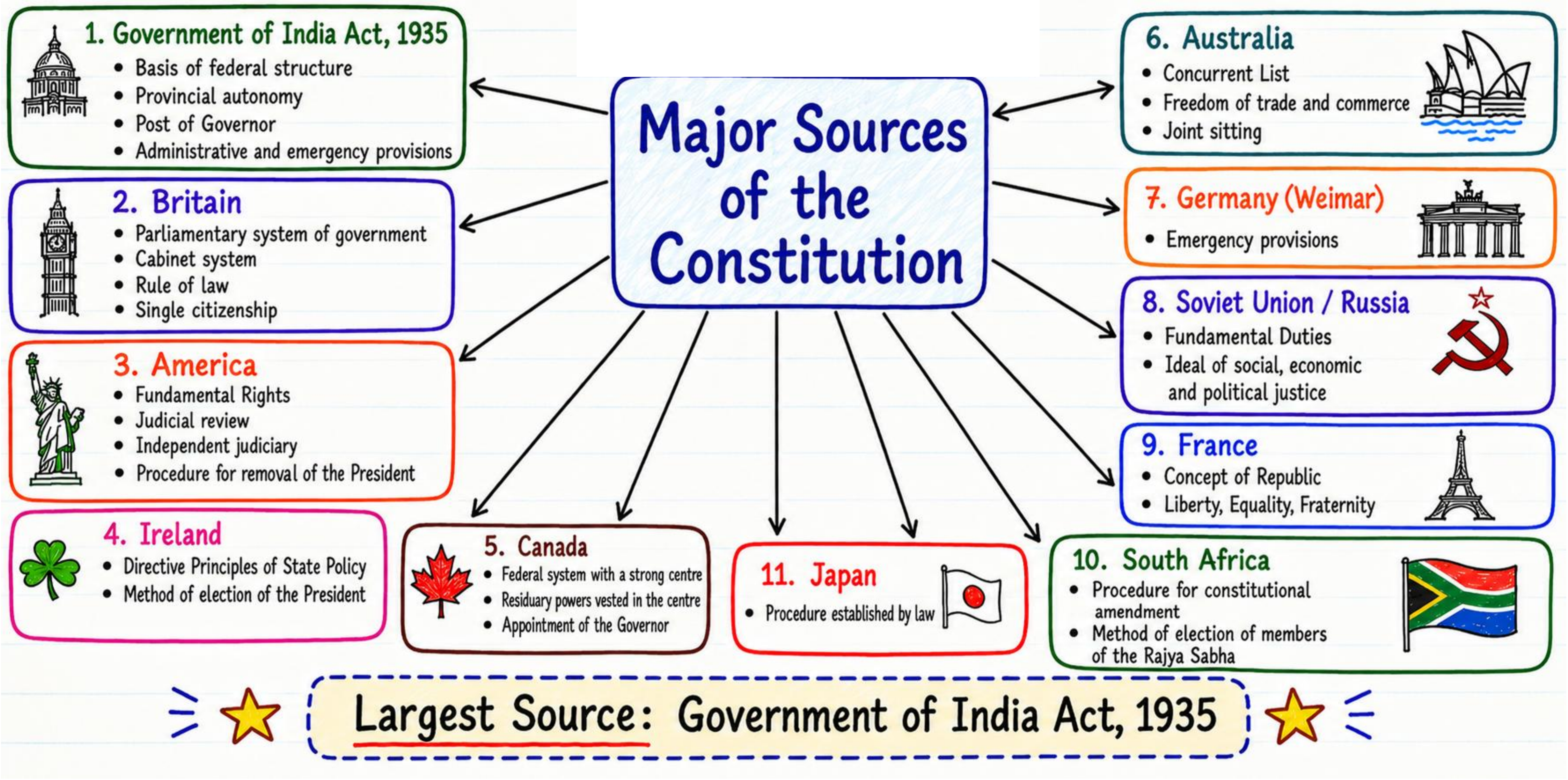

स्रोत	वशेषताएँ	वस्तृत समझ
भारत शासन अ धनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)	○ संघीय तंत्र (Federal Scheme) ○ राज्यपाल का कार्यालय (Office of Governor) ○ लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions) ○ आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) ○ प्रशासनिक ववरण (Administrative Details)	○ भारतीय सं वधान पर सबसे अ धक प्रभाव ○ **Greatest influence** ○ आयरलैंड → 1935 के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन्स' (अनुदेश प्रपत्र) → DPSP ○ Ireland → "Instruments of
ब्रिटेन का सं वधान (British Constitution)	○ द् वसदनवाद संसदीय शासन प्रणाली (Bicameralism Parliamentary System) ○ व ध का शासन (Rule of Law) + व ध के समक्ष समता (Equality before Law) ○ एकल नागरिकता (Single Citizenship) ○ प्रधानमंत्री का पद और मंत्रिमंडल प्रणाली (Cabinet System)	

स्रोत	वशेषताएँ
संयुक्त राज्य अमेरिका का सं वधान (Constitution of USA)	○ प्रस्तावना का वचार (Idea of Preamble) ○ मौ लक अ धकार (Fundamental Rights) ○ व धयों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) ○ न्यायपा लका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) ✓ 'मूल क्षेत्रा धकार (Original jurisdiction) ✓ न्यायिक पुनरावलोकन का सद्धांत (Judicial Review) + जनहित या चका (Public Interest Litigation) ✓ सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना (Removal of SC and HC Judges) ○ राष्ट्रपति पर महा भयोग (Impeachment of the President) ○ उपराष्ट्रपति का पद (Post of Vice-President)

ऑस्ट्रे लया का सं वधान	○ प्रस्तावना की भाषा (Language of the Preamble) ○ समवर्ती सूची (Concurrent List) ○ व्यापार और वा णज्य की स्वतंत्रता (Freedom of Trade and Commerce) ○ संयुक्त बैठक (Joint Sitting of the two Houses)
जर्मनी का वाइमर	○ आपातकाल के दौरान मौ लक अ धकारों का निलंबन (Suspension of Fundamental Rights during Emergency)
सो वयत संघ	○ मौ लक कर्तव्य (Fundamental Duties) ○ प्रस्तावना में **सामाजिक, आ र्थक और राजनीतिक न्याय** का आदर्श (Ideals of Justice - Social, Economic, and Political in the Preamble)
कनाडा का सं वधान	○ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था (Federation with a strong Centre) ○ अव शष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना (Vesting of Residuary Powers in the Centre) ○ केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति (Appointment of State Governors by the Centre) ○ सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रा धकार (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court) ○ वस्तु एवं सेवा कर (GST) की संकल्पना

स्रोत	वशेषताएँ
आयरलैंड का सं वधान	○ राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) ○ राज्यसभा के लए सदस्यों का नामांकन (Nomination of Members to Rajya Sabha) ○ राष्ट्रपति के चुनाव की व ध (Method of Election of the President)

स्रोत	वशेषताएँ
फ्रांस का सं वधान	○ गणतंत्रात्मक ढांचा (Republic) ○ प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श (Ideals of Liberty, Equality, and Fraternity in the Preamble)

द क्षण अफ्रीका का सं वधान	○ सं वधान में संशोधन की प्र क्रया (Procedure for Amendment of the Constitution) ○ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव (Election of Members of Rajya Sabha)

जापान का सं वधान	○ कानून द्वारा स्था पत प्र क्रया (Procedure Established by Law) = ○ व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल **कानून द्वारा निर्धारित प्र क्रया** के अनुसार ही छीना जा सकता है (अनुच्छेद 21) ○ A person's life and personal liberty can be taken away only according to the procedure prescribed by law (Article 21)

स्वीडन का सं वधान	○ भारत में लोकपाल और लोकायुक्त ○ The core idea of Lokpal and Lokayukta

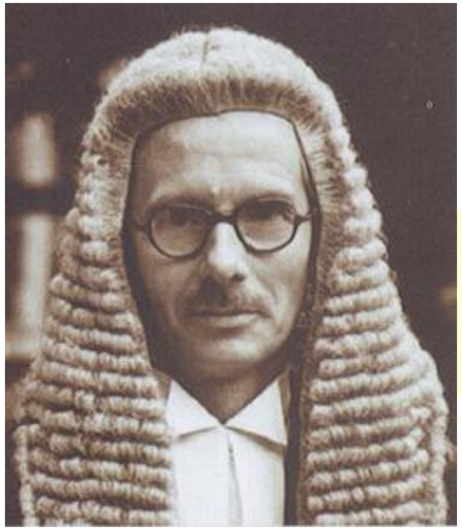

'वकीलों का स्वर्ग' (Lawyers' Paradise) → प्र सद्ध ब्रिटिश सं वधान वशेषज्ञ **सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings)**

भारतीय सं वधान : प्रमुख भाग (Indian Constitution: Major Parts)

भारतीय सं वधान : प्रमुख भाग (Indian Constitution: Major Parts)

भाग (Part)	वषय (Subject)	संबं धत अनुच्छेद	महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
भाग 1 (Part 1)	**संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory)**	**1–4**	○ अनुच्छेद 1 : India, that is Bharat, shall be a Union of States ○ अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (Article 3 : Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of
भाग 2 (Part 2)	**नागरिकता (Citizenship)**	**5–11**	○ अनुच्छेद 11 : संसद द्वारा नागरिकता अ धनियम, 1955 (Article 11 : Citizenship Act, 1955 enacted by Parliament)
भाग 3 (Part 3)	**मूल अ धकार (Fundamental Rights)**	**12–35**	○ 6 मूल अ धकार → “Magna Carta of India”; (6 Fundamental Rights → "Magna Carta of India“) ○ **अनुच्छेद 32** → 5 प्रकार की रिट → **“सं वधान की आत्मा और हृदय”** (Article 32 → 5 types of Writs → "Soul and Heart of the Constitution“)

भाग 4 (Part 4)	नीति-निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	36–51	○ आयरलैंड से प्रेरित; (Inspired by Ireland) ○ न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, ले कन शासन के लए मूलभूत। (Not enforceable by courts, but fundamental to governance)
भाग 4 (A) Part 4 (A)	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)	51 (A)	○ 42वें सं वधान संशोधन, 1976 से जोड़े गए; (Added by the 42nd Constitutional Amendment, 1976) ○ मूल रूप से 10 कर्तव्य, अब 11; (Originally 10 duties, now 11) ○ 86वें संशोधन, 2002 से 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया (11th duty added by the 86th Amendment, 2002)

भाग 5 (Part 5)	संघ (The Union)	52–151	○ राष्ट्रपति / President (52–62) ○ उपराष्ट्रपति / Vice President (63–71) ○ संसद / Parliament (79–122) ○ सर्वोच्च न्यायालय / Supreme Court (124–147) ○ भारत का महान्यायवादी / Attorney General of India (76) ○ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General (148–151)
भाग 6 (Part 6)	राज्य (The States)	152–237	○ राज्यपाल / Governor (153–162) ○ राज्य की मंत्रिपरिषद / Council of Ministers of the State (163–164) ○ राज्य का महा धवक्ता / Advocate General of the State (165) ○ राज्य वधानमंडल / State Legislature (168–212) ○ राज्य की वधायी प्र क्रया / Legislative Process of the State (196-201) ○ उच्च न्यायालय / High Courts (214–231)

भाग 7 (Part 7)	भाग B राज्य (Part B States)	हटाया गया (Removed)	○ 7वें सं वधान संशोधन, 1956 द्वारा हटाया गया; (Removed by the 7th Constitutional Amendment, 1956)
भाग 8 (Part 8)	केंद्रशा सत प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था (Administration of Union Territories)	239–242	○ पुडुचेरी → अनुच्छेद 239A (Puducherry → Article 239A) ○ दिल्ली → अनुच्छेद 239AA (Delhi → Article 239AA)
भाग 9 (Part 9)	पंचायत (Panchayats)	243–243O	○ 73वाँ सं वधान संशोधन, 1992; (73rd Constitutional Amendment, 1992) ○ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई; (11th Schedule added)
भाग 9 (A) (Part 9 (A)	नगरपा लकाएँ (Municipalities)	243P–243ZG	○ 74वाँ सं वधान संशोधन, 1992 (74th Constitutional Amendment, 1992) ○ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई; (12th Schedule added)

भाग 9 (B) (Part 9 (B)	सहकारी स मतियाँ (Co-operative	243ZH–243ZT	○ 97वाँ सं वधान संशोधन, 2011 (97th Constitutional Amendment, 2011)
भाग 10 (Part 10)	अनुसू चत और जनजातीय क्षेत्र (Scheduled and Tribal Areas)	244–244A	○ 5वीं अनुसूची: अनुसू चत क्षेत्र; (5th Schedule: Scheduled Areas) ○ 6वीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मजोरम के जनजातीय क्षेत्र (6th Schedule: Tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram)

भाग 11 (Part 11)	संघ-राज्य संबंध (Union-State Relations)	245–263	○ 246A → GST से संबं धत वशेष प्रावधान (246A → Special provision related to GST) ○ 248 → अव शष्ट वधायी शक्तियाँ संसद के पास (248 → Residuary legislative powers vest with Parliament) ○ 249 → राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति (249 → Power of Parliament to legislate on State List in national interest) ○ 250 → आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने शक्ति (250 → Power of Parliament to legislate on State List

भाग 12 (Part 12)	**वत्त, संप त्त, सं वदाएँ और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)**	**264–300A**	○ अनुच्छेद 300A → संप त्त का अ धकार अब मौ लक अ धकार नहीं, बल्कि **संवैधानिक/कानूनी अ धकार** है। (Article 300A → Right to Property is no longer a Fundamental Right, but a Constitutional/Legal Right.) ○ मूल रूप से संप त्त का अ धकार **अनुच्छेद 19(1)(f)** और **अनुच्छेद 31** के तहत मौ लक अ धकार था, ले कन **44वें सं वधान संशोधन अ धनियम, 1978** द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। (Originally, the right to property was a Fundamental Right under Article 19(1)(f) and Article 31, but it was removed and placed under Article 300A by the 44th Constitutional
भाग 13 (Part 13)	**व्यापार-वा णज्य (Trade and Commerce)**	**301–307**	भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 301 सबसे महत्वपूर्ण। (Freedom of trade within India; Article 301 is the most important.)

भाग 14 (Part 14)	**संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services under the Union and States)**	**308–323**	○ अनुच्छेद 312→ अ खल भारतीय सेवाएँ (Article 312 → All India Services) ○ अनुच्छेद 315 से 323 → लोक सेवा आयोग (Articles 315 to 323 → Public Service Commissions)
भाग 14 (A) / Part 14 (A)	**अ धकरण (Tribunals)**	**323A–323B**	42वें संशोधन, 1976 से जोड़ा गया; (Added by the 42nd Amendment, 1976)
भाग 15 (Part 15)	**निर्वाचन (Elections)**	**324–329A**	○ अनुच्छेद 324 → निर्वाचन आयोग (Article 324 → Election Commission of India) ○ अनुच्छेद 326 → वयस्क मता धकार (Universal Adult Suffrage)

भाग 16 (Part 16)	कुछ वर्गों के संबंध में वशेष उपबंध (Special Provisions Relating to Certain Classes)	330–342A	○ अनुच्छेद 330 → लोकसभा में SC/ST आरक्षण (Article 330 → Reservation for SC/ST in Lok Sabha) ○ अनुच्छेद 331 → लोकसभा में Anglo-Indian (104वें सं वधान संशोधन अ धनियम, 2019 द्वारा समाप्त) / Article 331 → Anglo-Indian representation in Lok Sabha (abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019) ○ अनुच्छेद 332 → वधानसभा में SC/ST आरक्षण (Article 332 → Reservation for SC/ST in State Legislative Assemblies) ○ अनुच्छेद 333 → वधानसभा में Anglo-Indian (104वें सं वधान संशोधन अ धनियम, 2019 द्वारा समाप्त) (Article 333 → Anglo-Indian representation in State Legislative Assemblies (abolished by the 104th Constitutional Amendment Act, 2019)) ○ अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसू चत जाति आयोग (Article 338 → National Commission for Scheduled Castes) ○ अनुच्छेद 338 (A) → राष्ट्रीय अनुसू चत जनजाति आयोग (Article 338 (A) → National Commission for Scheduled Tribes) ○ अनुच्छेद 338 (B) → राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग आयोग (Article 338 (B) →

भाग 17 (Part 17)	**राजभाषा (Official Language)**	**343–351**	○ अनुच्छेद 343 → संघ की राजभाषा हिंदी और ल प देवनागरी (Article 343 → Official language of the Union is Hindi and script is Devanagari) ○ अनुच्छेद 344 → राजभाषा आयोग और संसदीय स मति (Article 344 → Official Language Commission and Parliamentary Committee)

भाग 18 (Part 18)	**आपात उपबंध (Emergency Provisions)**	**352–360**	○ अनुच्छेद 352 → राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र वद्रोह) / Article 352 → National Emergency (war, external or armed rebellion) ○ अनुच्छेद 356 → राष्ट्रपति शासन (राज्य में संवैधानिक तंत्र की वफलता) / Article 356 → President's Rule ○ अनुच्छेद 360 → वत्तीय आपातकाल / Article 360 → Financial Emergency

भाग 19 (Part 19)	प्रकीर्ण (Miscellaneous)	361–367	○ अनुच्छेद 361 → राष्ट्रपति/राज्यपाल को संरक्षण (Article 361 → Protection of President/Governor) ○ अनुच्छेद 367 → सं वधान की व्याख्या (Article 367 → Interpretation of the Constitution)
भाग 20 (Part 20)	सं वधान का संशोधन (Amendment of	368	○ अनुच्छेद 368 → सं वधान संशोधन की शक्ति और प्र क्रया (Article 368 → Power and procedure to amend the Constitution)
भाग 21 (Part 21)	अस्थायी, संक्रमणकालीन और वशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)	369–392	○ अनुच्छेद 370 → जम्मू-कश्मीर से संबं धत वशेष प्रावधान (Article 370 → Special provisions relating to Jammu & Kashmir) ○ अनुच्छेद 371 → महाराष्ट्र और गुजरात के लए वशेष प्रावधान (Article 371 → Special provisions for Maharashtra and Gujarat) ○ अनुच्छेद 371 (A)→ नागालैंड के लए वशेष प्रावधान (Article 371 (A) → Special provisions for Nagaland)

भाग 22 (Part 22)	**सं क्षप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रा धकृत पाठ और निरसन (Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)**	**393–395**	○ अनुच्छेद 393 → सं वधान का सं क्षप्त नाम (Article 393 → Short title of the Constitution) ○ अनुच्छेद 394 → सं वधान का प्रारंभ (Article 394 → Commencement of the Constitution) ○ अनुच्छेद 394 (A) → हिंदी भाषा में प्रा धकृत पाठ (Article 394 (A) → Authoritative text in the Hindi language) ○ अनुच्छेद 395 → निरसन (Article 395 → Repeals)

अवधारणा (Concept)	स्रोत (Source)	मूल वचार (Core Idea)	संबंध / अनुच्छेद (Connection / Article)
1. व ध का शासन (Rule of Law)	**ब्रिटेन (ए. वी. डायसी) (Britain (A.V. Dicey)**	सर्वोच्चता: देश में इंसानों का नहीं, बल्कि कानून का राज होगा। (Supremacy: In a country, not men but law shall rule.)	अनुच्छेद 14 का आधार (सं वधान का मूल ढांचा) — Basis of Article 14 (Basic Structure of the Constitution)
2. व ध के समक्ष समता (Equality before Law)	**ब्रिटेन (Britain)**	नकारात्मक समता: कानून अंधा है। राजा हो या रंक, कानून की नजर में सब बराबर हैं। (Negative equality: Law is blind. Whether king or pauper, all are equal in the eyes of law.)	अनुच्छेद 14 (व ध के शासन का ही एक हिस्सा) — Article 14 (a part of Rule of Law itself)

3. व धयों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)	अमेरिका (USA)	सकारात्मक समताः कानून अंधा नहीं है। समान लोगों के साथ समान और असमान के साथ अलग व्यवहार (जैसे- आरक्षण)। (Positive equality: Law is not blind. It treats equals equally and unequals differently, e.g., reservation / affirmative action.)	अनुच्छेद 14 (Article 14)
4. व ध द्वारा स्था पत प्र क्रया (Procedure Established by Law)	जापान (Japan)	प्र क्रयात्मक जांचः न्यायालय केवल यह देखेगा क कानून बनाने का तरीका/प्र क्रया सही थी या नहीं। (Procedural check: The court examines only whether the procedure for making the law was correct.)	अनुच्छेद 21 (मूल सं वधान में) — Article 21 (in the original Constitution)

5. व ध की उ चत प्र क्रया (Due Process of Law)	**अमेरिका — USA**	तात्विक जांचः न्यायालय देखेगा क प्र क्रया के साथ-साथ कानून की नीयत भी न्यायपूर्ण और ता र्कक है या नहीं। (Substantive check: The court examines not only the procedure but also whether the law is just, fair, and reasonable.)	अनुच्छेद 21 (मेनका गांधी केस 1978 के बाद) — Article 21 (after Maneka Gandhi case, 1978)

संविधान से हटाए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Significant Articles Removed

1 अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अधिकार

➡ **क्या था :**
मूल संविधान में संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार, भाग III के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था।

➡ **कैसे हटाया गया :**
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार भाग XII में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह एक वैधानिक/संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है।

संपत्ति / प्रॉपर्टी

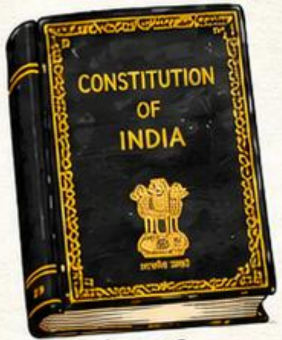

भारतीय संविधान

भाग III (मौलिक अधिकार) → अनुच्छेद 300A
भाग XII (वैधानिक अधिकार)

वर्ष **1978**
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

2 अनुच्छेद 379 से 391

➡ **क्या थे :** ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के तुरंत बाद आवश्यक अस्थायी और संक्रामणकालीन प्रावधानों से संबंधित थे, जैसे अस्थायी संसद और अंतरिम सरकारों का संचालन।

➡ **कैसे हटाय गए :** 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इन्हें निरस्त किया गया, क्योंकि प्रथम आम चुनाव हो चुके थे और संक्रामणकालीन व्यवस्थाओं की आवश्यकता समापत हों गई थी।

अस्थायी संसद

प्रथम आम चुनाव

वर्ष **1956**
7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

3 अनुच्छेद 329A

➡ **क्या था :**
1975 में आपातकाल के दौरान 39वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को सामान्य न्यायालयों की समीक्षा से बाहर रखता था।

➡ **कैसे हटाया गया :**
राज नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराया और बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया।

आपातकाल
1975

प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव

राज नारायण मामला
(सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया)

सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष **1978**
44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

Exam Point: अनुच्छेद 31, 379-391 और 329A भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन्हें समय, परिस्थितियों और संवैधानिक संशोधनों के अनुसार हटाया गया।

याद रखें!
- संशोधन = परिवर्तन
- संविधान = जीवंत दस्तावेज ✓

★ Quick Revision Notes ★

Significant Articles Removed from the Constitution

Quick Constitutional Revision Notes

1 Article 31 – Right to Property

What was it?

Originally, the right to acquire, hold, and dispose of property was a Fundamental Right under Part III of the Constitution.

How was it removed?

It was abolished by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. The Right to Property was shifted to Part XII under Article 300A. It is now a legal / constitutional right, but no longer a Fundamental Right.

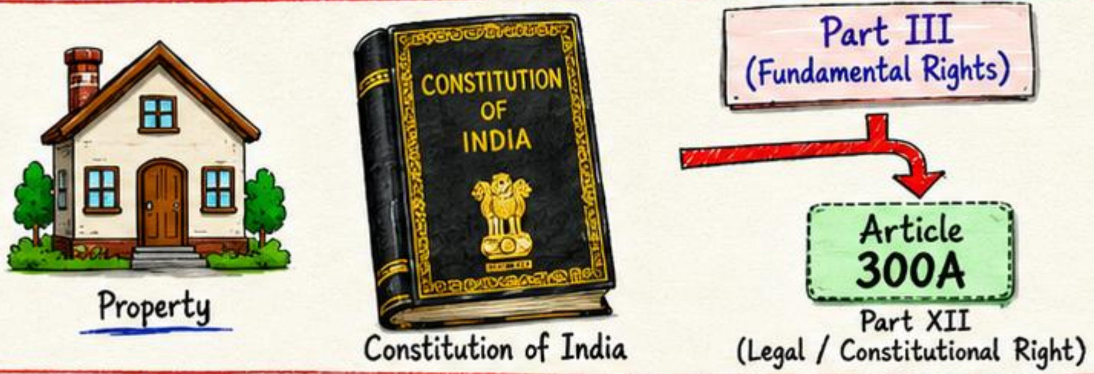

Year
1978
44th Constitutional Amendment Act, 1978

2 Articles 379 to 391

What were they?

These articles dealt with temporary and transitional provisions needed immediately after independence, such as the functioning of the provisional Parliament and interim governments.

How were they removed?

They were repealed by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, because the first general elections had already been held and the transitional arrangements were no longer needed.

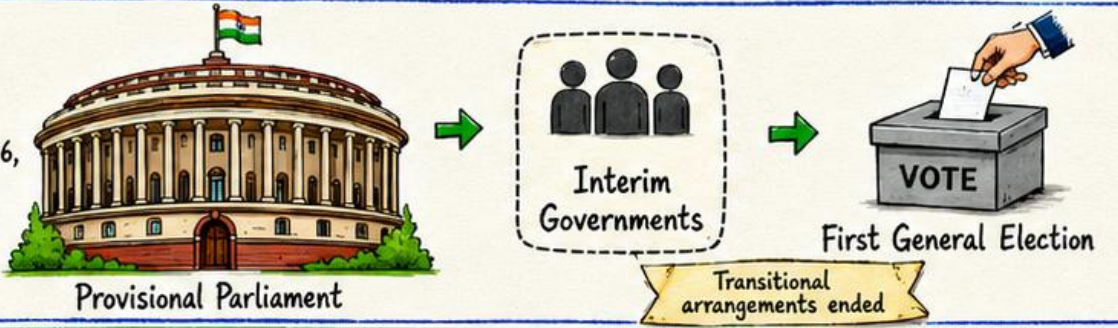

Year
1956
7th Constitutional Amendment Act, 1956

3 Article 329A

What was it?

Inserted during the Emergency by the 39th Constitutional Amendment in 1975, this article placed the elections of the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha beyond the scrutiny of ordinary courts.

How was it removed?

In the Raj Narain case, the Supreme Court declared it unconstitutional. It was later formally repealed by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978.

Year
1978
44th Constitutional Amendment Act, 1978

Exam Point:

Articles 31, 379–391, and 329A are important constitutional provisions that were removed over time due to changing circumstances and constitutional amendments.

Remember!

- Amendment = Change
- Constitution = A living document

Constitution

Quick Revision Notes

अध्याय 03 : भारत का संवैधानिक वकास

1600-1765	1765-1858 (कंपनी के अधीन)	1858-1947 (ब्रिटिश क्राउन के अधीन)
○ 1600 का चार्टर	○ रेग्यूलेटिंग अ धनियम 1773	○ भारत शासन अ धनियम 1858
○ 1686 का चार्टर	○ संशोधन अ धनियम 1781	○ भारतीय परिषद अ धनियम 1861
○ 1726 का चार्टर	○ पट्स इं डया एक्ट 1784	○ भारतीय परिषद अ धनियम 1892
	○ 1786 का अ धनियम	○ भारतीय परिषद अ धनियम 1909 (मॉर्ले- मंटो सुधार)
	○ चार्टर अ धनियम 1793	
	○ चार्टर अ धनियम 1813	

Chapter 03 : Constitutional Development

1600-1765

- Charter of 1600
- Charter of 1686
- Charter of 1726

1765-1858 (Under the Company)

- Regulating Act 1773
- Amendment Act 1781
- Pitt's India Act 1784
- Act of 1786
- Charter Act 1793
- Charter Act 1813
- Charter Act 1833
- Charter Act 1853

1858-1947 (Under the British Crown)

- Government of India Act 1858
- Indian Councils Act 1861
- Indian Councils Act 1892
- Indian Councils Act 1909 (Morley-Minto Reforms)
- Government of India Act 1919 (Montagu-Chelmsford)
- Government of India Act 1935

A) 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773)

1) महत्व (Significance)

- BEIC के कार्यो को वनिय मत करने हेतु **ब्रिटिश संसद का पहला कदम** (First step of the British Government/Parliament to regulate the affairs of the BEIC)
- कंपनी के **प्रशासनिक कार्यो को मान्यता** (Recognition of the administrative functions of the Company)

2) प्रावधान (Provisions) :-

- **बंगाल का गवर्नर (Governor of Bengal) ⇒ बंगाल का गवर्नर जनरल (Governor General of Bengal)**

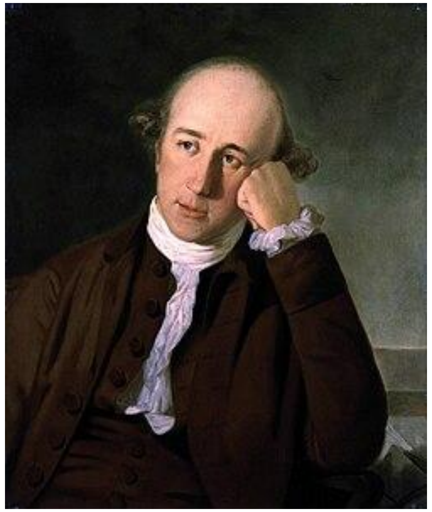

प्रथम - वारेन हेस्टिंग्स

अधीन (Subordinate) → मद्रास व बम्बई के गवर्नर

सहायता हेतु ⇒ चार सदस्य वाली परिषद (For assistance – A council of four members)

- **कलकत्ता मे सर्वोच्च न्यायालय** (Supreme Court in Calcutta)
  - **1774**
  - **मुख्य - ए लजा एम्पे** (Chief – Elijah Impey
  - सहायक - **चैम्बर्स, लमेस्टर तथा हाइड**

- कंपनी के कर्मचारी (Company Employees)
  - निजी व्यापार (Private trade) ✖
  - उपहार (Gifts) ✖
  - रिश्वत (Bribery) ✖
- कंपनी राजस्व व सैन्य जानकारी (Company's revenue and military information) → **ब्रिटिश सरकार**

ब्रिटिश भारत के प्रमुख पदों पर प्रथम / अंतिम व्यक्ति

नाम, चित्र और कार्यकाल

1 बंगाल का पहला गवर्नर

रॉबर्ट क्लाइव

कार्यकाल: 1757–1760 (पुन: 1765–1767)

2 बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल

वॉरेन हेस्टिंग्स

कार्यकाल: 1773–1785

3 भारत का पहला गवर्नर-जनरल

लॉर्ड विलियम बेंटिक

कार्यकाल: 1833–1835

4 भारत का पहला वायसराय

लॉर्ड कैनिंग

कार्यकाल: 1858–1862

5 भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर-जनरल

लॉर्ड माउंटबेटन

वायसराय: 1947 | गवर्नर-जनरल: 1947–1948

6 गवर्नर-जनरल बनने वाले एकमात्र भारतीय

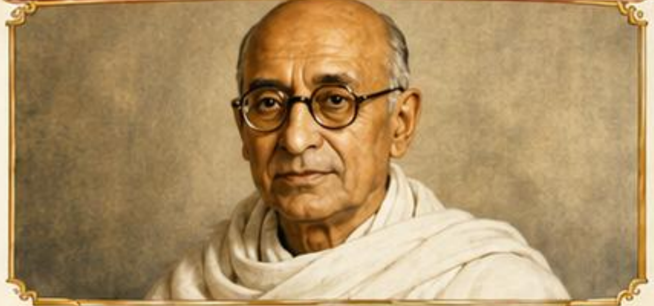

सी. राजगोपालाचारी

कार्यकाल: 1948–1950

B) 1781 से 1793 (1781 to 1793)

1) 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट (Act of Settlement, 1781)

- रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 की क मयो को दूर करना (To remove the deficiencies of the Regulating Act, 1773)
- गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर (Governor General placed outside the jurisdiction of the Supreme Court)

2) 1784 का पट्स इं डया एक्ट (Pitt's India Act, 1784) :-

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री → William Pitt the Younger
- कंपनी में **दोहरा प्रशासन** (Dual administration in the Company)
  - निदेशक मंडल (Court of Directors) → व्यापार (Commerce)
  - नियंत्रण मंडल (Board of Control) → प्रशासन (Administration)
- भारत को पहली बार (For the first time, India called) → ब्रिटिश आ धपत्य क्षेत्र

3) 1793 का चार्टर कानून (Charter Act of 1793) :- (Domination)

- BOC का वेतन (Salary of BOC) ⇐ **भारतीय राज्य (Indian revenues)** ⇒ धन का निष्कासन (Drain of

C) 1813 का चार्टर अ धनियम (Charter Act of 1813)

कंपनी के व्यापारिक एका धकार की समाप्ति
(End of the Company's trade monopoly)

- चीन → एका धकार (monopoly retained)
- चाय → एका धकार (monopoly retained)

ब्रिटिश नागरिक + ब्रिटिश कंपनी (British citizens + British companies) ⟶ भारत में व्यापार (allowed to trade in India)

- **इसाई मशनरी** (Christian missionaries)
  - भारत आगमन की अनुमति (Permitted to enter India)
  - धा र्मक प्रसार (for religious propagation)

- **शक्षा हेतु (For education)**
  - 1 लाख प्रतिवर्ष - शक्षा (₹1 lakh per year for education)
  - पहली बार (For the first time)

D) 1853 का चार्टर अ धनियम (Charter Act of 1853)

1) **कंपनी (Company)**
- ► व्यापारिक एका धकार → पूर्णतः समाप्त (Commercial monopoly completely abolished)
- ► प्रशासनिक एकाधिकार → 20 वर्षों के लिए बढ़ा (Administrative extended for 20 years)

2) बंगाल का गवर्नर जनरल (GG of Bengal) → भारत का गवर्नर जनरल (GG of India) ⇒ प्रथम: व लयम बैंटिक

3) **मद्रास व बम्बई (Madras and Bombay)**
- ► व ध निर्माण शक्तियां समाप्त (Legislative powers abolished)
- ► चरम केंद्रीयकरण (Extreme centralization)
- ► संपूर्ण देश में एक बजट (Single budget for the entire country)

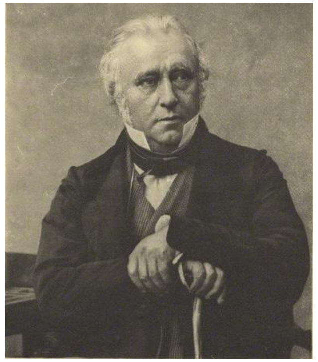

4) **GG की परिषद् का वस्तार (Expansion)**
- → व ध सदस्य (4th) / Law Member (4th member)
- → लार्ड मैकाले (Lord Macaulay)

5) **धारा 87 (Section 87)**
- → सरकारी नौकरी में **समानता** (Equality in government employment)
- → धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर भेदभाव नही (No

6) दास प्रथा उन्मूलन (Abolition of Slavery)
- 1843
- लार्ड एलनबरो (Lord Ellenborough)

7) प्रथम व ध आयोग (1834) / First Law Commission (1834) = लॉर्ड मैकाले (Lord Macaulay)

↓ सफारिश (Recommendation)

भारत में अंग्रेजी शक्षा (English education in India)

E) 1853 का चार्टर अ धनियम (Charter Act of 1853)

1) प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान (Provision for competitive examinations) → मैकाले स मति (Macaulay Committee (1854)

2) GG का शक्तियों का वभाजन (Division of powers of the Governor General)

- प्रशासनिक कार्य (GG की कार्यकारणी परिषद) / Administrative functions (GG's Executive Council)
- GG की वधान परिषद (Legislative Council of the GG)

भारतीय/ केन्द्रीय वधान परिषद्	नये 6 सदस्य (कुल 12)	छोटी संसद
Indian / Central Legislative Council	**6 new members added (total 12)**	**Mini Parliament**

प्रांतीय सरकारों का प्रतिनि धत्व (Representation of 4 Provinces) ⇒ बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा

F) 1858 का भारत शासन अ धनियम (Government of India Act, 1858)

कंपनी के शासन की समाप्ति (End of Company's Rule)	भारत का शासन ⇒ ब्रिटिश ताज व संसद (British Crown and Parliament)	ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण (महारानी वक्टोरिया)

4) मुगल सम्राट के पद की समाप्ति (Abolition of the post of Mughal Emperor)

5) BOC व COD की समाप्ति (Abolition of Board of Control and Court of Directors)

6) भारत का गवर्नर जनरल (Governor General of India) → भारत का वायसराय (Viceroy of India)

⇓

प्रथम: लॉर्ड कैनिंग (First Viceroy : Lord Canning)

⇓

1) **नया पद (New post created)** ⇒ भारत का राज्य स चव → लंदन में ब्रिटिश केबिनेट मंत्री) || Secretary of State for India → A British Cabinet Minister based in London)

2) संसद के प्रति उत्तरदायी (Accountable to Parliament)

3) सहायता हेतु **15 सदस्यों वाली भारत-परिषद्** (Assisted by a 15-member India Council)

G) 1861 का भारत परिषद अ धनियम (Indian Councils Act, 1861)

1) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का वस्तार (Expansion of the Governor General's Executive Council)

2) गवर्नर जनरल की **वधायी परिषद में पहली बार भारतीय** (Indians included in the Governor General's Legislative Council for the first time)

- लॉर्ड कैनिंग — **गैर सरकारी सदस्य** (Lord Canning — Non-official members appointed)
  - बनारस के राजा (Raja of Banaras)
  - पटियाला के महाराजा नरिंदर संह (Maharaja of Patiala)
  - सर दिनकर राव (Sir Dinkar Rao)

3) **वभागीय प्रणाली** का आरंभ (Beginning of the Departmental System)
- **लॉर्ड कैनिंग (1859)**
- वर्तमान कैबिनेट प्रणाली का आधार (Foundation of the present Cabinet System)

4) **गवर्नर जनरल** को **अध्यादेश** जारी करने की शक्ति (Power granted to the Governor General to issue Ordinances)

- अव ध - **6 माह** (Duration - 6 months)

5) **1861 का उच्च न्यायालय अ धनियम** (High Courts Act, 1861)

- कलकत्ता (1 जुलाई 1861)
- बम्बई (14 अगस्त 1861)
- मद्रास (15 अगस्त 1861)
- इलाहाबाद (17 मार्च 1866)

6) गवर्नर जनरल को **प्रांतीय वधान परिषद् स्था पत करने की शक्ति** (Power granted to the Governor General to establish Provincial Legislative Councils)

- बंगाल (Bengal) : 1862
- उत्तर-पश्चिमी प्रांत (North-Western Provinces) : 1886
- पंजाब (Punjab) : 1897

H) 1862 से 1908 तक (From 1862 to 1908)

1) **ईस्ट इं डया स्टॉक ड वडेंड रिडेम्पशन एक्ट, 1873 → 1 जून 1874** को BEIC की समाप्ति (Dissolution of BEI Company)

2) **शाही उपा ध अ धनियम, 1876**

- ब्रिटिश प्रधानमंत्री **बेंजा मन डज़राइली**
- भारत के वायसराय लॉर्ड लटन
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी **परिषद् में 6वाँ सदस्य** (Addition of 6th member to the Governor General's Executive Council)
- लोक निर्माण का अ धकारी (Officer for Public Works)
- लॉर्ड लटन ने **1 जनवरी 1877 को एक अत्यंत भव्य 'दिल्ली दरबार' (Delhi Durbar)** का आयोजन कया था।

3) 1892 का भारत परिषद् अ धनियम (Indian Councils Act, 1892)

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ (Introduction of Indirect Election System)
- भारत में पहली बार **प्रतिनि ध प्रणाली (representative system)** की नींव इसी अ धनियम से पड़ी।
- गैर-आ धकारिक (non-official) सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) के माध्यम से चुना जाने लगा।
- वा र्षक बजट पर **बहस (discuss) करने का अ धकार**
- बजट पर **मतदान (Voting) करने या संशोधन प्रस्ताव लाने का अ धकार नहीं** था।
- पूरक प्रश्न (Supplementary questions — Not allowed)
- 6 दिन की पूर्व नोटिस द्वारा प्रश्न (Questions allowed with 6 days' prior notice)

I) भारत परिषद् अ धनियम, 1909 (Indian Councils Act, 1909)

- मार्ले- मंटो सुधार
- भारत स चव - लॉर्ड मार्ले
- वायसराय - मंटो
- सबसे कम अव ध वाला Act

1) मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorate for Muslims)

- चुनाव भी मुस्लिम (Candidates also Muslim)
- वोट भी मुस्लिम (Voters also Muslim)

लॉर्ड मंटो (Lord Minto) ⇒ सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक (Father of Communal Electorate)

2) भारतीयों की नियुक्ति (Appointment of Indians to the)

- भारत परिषद् (लंदन) → **कृष्ण गो वंद गुप्ता और सैय्यद हुसैन बिलग्रामी**
- वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय → **सत्येंद्र प्रसाद**

3) भारतीयों को वधायिका में (Indians granted rights in Legislature) :

- पूरक प्रश्न पूछने का अ धकार (Right to ask Supplementary Questions)
- बजट पर चर्चा करने के साथ-साथ लोक हित के वषयों पर प्रस्ताव (Resolution) लाने का अ धकार

4) प्रांतीय वधायिकाओं की सीटों में वृद् ध (Increase in seats of Provincial Legislatures)

J) 1919 का भारत शासन अ धनियम (Government of India Act 1919)

- भारत स चव - माण्टेग्यू (Secretary of India - Montagu)
- वायसराय - चेम्सफोर्ड (Viceroy - Chelmsford)
- केंद्र में द् वसदनात्मक व्यवस्था (Bicameral at the Centre)
- प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy in Provinces)
- PM - लॉयड जॉर्ज
  राजा - एडवर्ड सप्तम

1) भारत में महिलाओं को मता धकार (Women's Voting Rights in India)

2) ली आयोग → लोक सेवा आयोग (1926)

- Lee Commission → Public Service Commission (1926)

3) भारत स चव द्वारा **"महालेखा परीक्षक"** की नियुक्ति (Appointment of Comptroller & Auditor General by Secretary of State)

4) सांप्रदायिक निर्वाचन का वस्तार → सख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय (Extension of Separate Electorate - Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans)

5) केन्द्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कया (Central Budget separated from Provincial Budgets)

6) 10 वर्षों के बाद जाँच आयोग का प्रावधान (Provision for Review Commission after 10 Years) → **साइमन कमीशन (1927)**

7) बाल गंगाधर तिलक → "बिना सूरज का सवेरा" (A Dawn without Sunrise)

केंद्र में द् वसदनीय व्यवस्था (Bicameral System at the Centre)

राज्य परिषद (Council of State)

- 34 : निर्वा चत (Elected)
- 26 : मनोनीत (Nominated)

○ **कार्यकाल (Tenure) -** 5 वर्ष (5 Years)

○ केवल पुरुष (Men Only), निर्वाचन (Election)

केंद्रीय वधानसभा (Central Legislative Assembly)

- 104 : निर्वा चत (Elected)
- 40 : मनोनीत (Nominated)

○ **कार्यकाल (Tenure) -** 3 वर्ष (3 Years)

○ प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election)

⇒ **दोनों की शक्तियां लगभग समान थी (Powers of both Houses were nearly equal)**

⇒ **बजट की अ धकांश शक्तियां → निचला सदन (Most budget powers → Lower House)**

⇒ **वॉयसराय कभी भी वधेयक को वीटो (Veto) कर सकता था।**

प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy in Provinces)

लयोनेल कर्टिस → द्वैध शासन के जनक (Father of Dyarchy) → पुस्तक 'Dyarchy'

आर क्षत वषय (Reserved Subjects)

1935 में समाप्त (Abolished in 1935)

हस्तांतरित वषय (Transferred Subjects)

- गवर्नर व कार्यकारी परिषद (Governor & Executive Council)
- वत्त , भू म कर, अकाल सहायता, न्याय, पु लस, पेंशन, समाचारपत्र, संचाई , जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्र मक कल्याण , औद्यो गक ववाद, मोटरगा ड़याँ, छोटे बन्दरगाह, सार्वजनिक सेवाएँ
- Finance, Land Revenue, Famine Relief, Justice, Police, Pension, Criminal Tribes, Press, Newspapers, Irrigation, Waterways, Mines, Factories, Electricity, Gas, Boilers,

- वधानपरिषद के मंत्री (Ministers of Legislative Council)
- शक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, च कत्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण वभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन
- Education, Library, Museum, Local Self-Government, Medical Relief, Public Works Dept, Excise, Industry, Weights & Measures, Control of Public Entertainment, Education,

K) भारत शासन अ धनियम 1935 (Government of India Act 1935)

- साइमन कमीशन व गोलमेज सम्मेलन पर आधारित (Based on Simon Commission & Round Table Conferences)
- 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसू चयां (321 Articles and 10 Schedules)
- सं वधान पर सर्वा धक प्रभाव (Greatest Influence on the Constitution)
- प्रस्तावना नहीं (No Preamble)

1) अ खल भारतीय संघ (All India Federation)
- 11 ब्रिटिश प्रांत - अनिवार्य (11 British Provinces - Compulsory)
- 4 क मश्नरी क्षेत्र - अनिवार्य (4 Chief Commissioner's)
- देसी रियासते - **स्वैच्छिक** (Princely States - **Voluntary**)

2) प्रांतों में (Provinces)
- द्वैध शासन समाप्त (Dyarchy Abolished)
- अ धक स्वायत्तता (Greater Autonomy)

3) **संघीय न्यायालय** की स्थापना (Establishment of Federal Court)
- 1 + 2 न्यायाधीश (1 + 2 Judges)
- अंतिम अपील: प्रीवी काउंसल (लंदन)

4) **ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता →** इस अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार मात्र ब्रिटिश संसद (Supremacy of British Parliament → Only British Parliament could amend this Act)

5) भारत परिषद का अंत (Abolition of India Council)

6) **साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार (Extension)**
- दलित वर्ग (Depressed Classes)
- मजदूर (Labourers)
- महिला (Women)

7) **मानचित्र परिवर्तन (Territorial Changes)**
- भारत से वर्मा अलग (Burma Separated from India)
- बम्बई - संध अलग (Sindh Separated from Bombay)
- मध्य प्रांत + बरार (Central Provinces + Berar)

8) भारतीय **रिजर्व बैंक की स्थापना** (Establishment of Reserve Bank of India)

केंद्र में द्वैध शासन - वषय सू चयाँ (Dyarchy at Centre - List of Subjects)

संघ सूची (Federal List)

- वदेश (Foreign Affairs)
- मुद्रा (Currency)
- रक्षा (Defence)
- जनगणना (Census)

प्रांत सूची (Provincial List)

- पु लस (Police)
- शक्षा (Education)
- प्रांतीय लोकसेवा (Provincial Public Service)

समवर्ती सूची (Concurrent List)

- दण्ड वधान और प्र क्रया (Criminal Law & Procedure)
- वबाह (Marriage)

अव शष्ट शक्तियां ⇒ वायसराय (Residual Powers ⇒ Viceroy)

1) **नेहरू (Nehru) :-**

- गुलामी का अ धकार पत्र (Charter of Slavery)
- एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं (A Car with Brakes but no Engine)

2) **अम्बेडकर (Ambedkar) :-** मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है क सं वधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इं डया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। (I make no apology that the Draft Constitution has reproduced a large part of the Government of India Act 1935.)

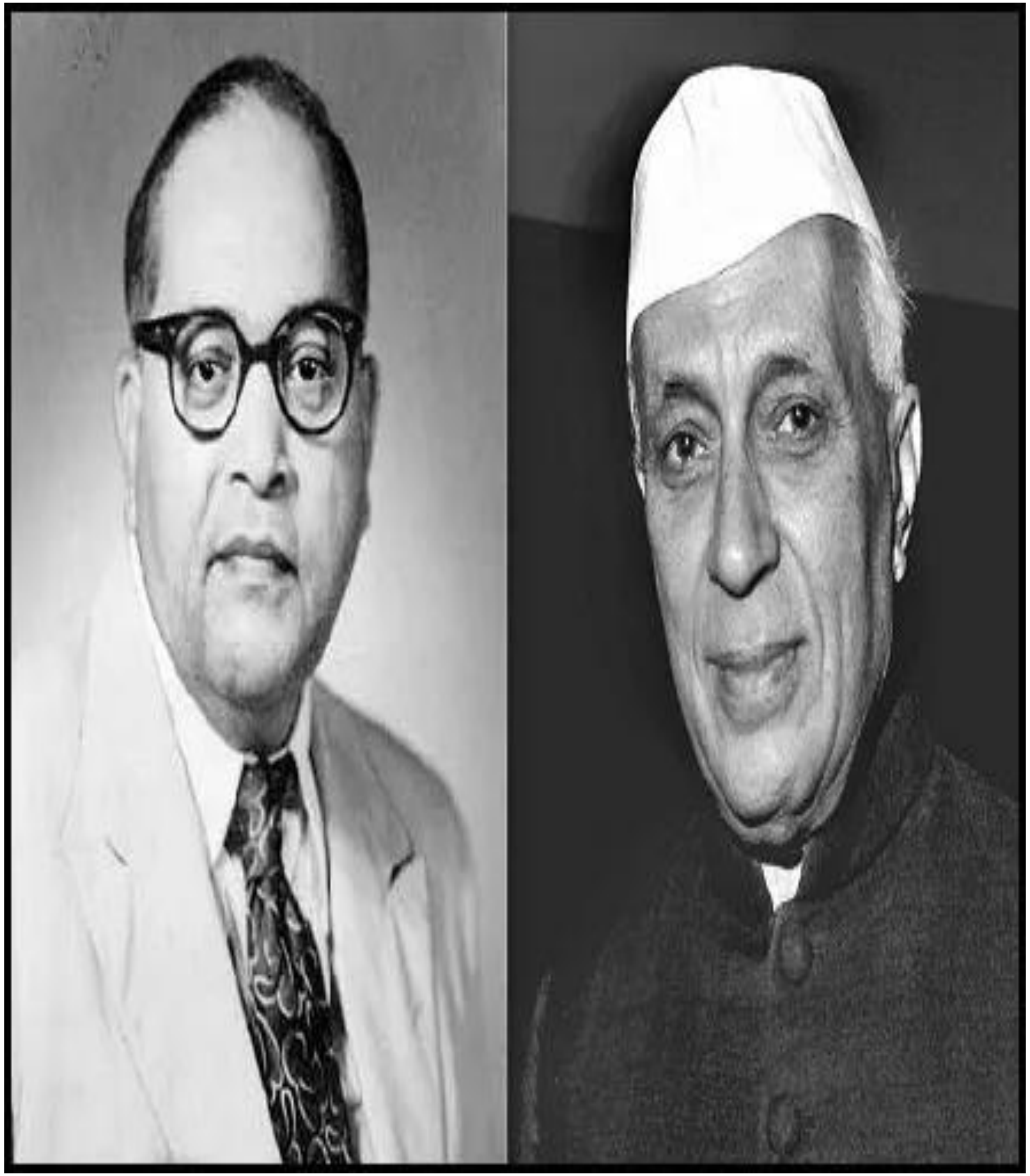

L) अगस्त प्रस्ताव 1940 (August Offer 1940)

1) **वायसराय लन लथगो (Viceroy Linlithgow)** → 8 अगस्त 1940
2) **उद्देश्य (Objective) :-** द् वतीय वश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना (To gain Indian support in World War II)
3) **प्रावधान (Provisions)**
   - ► डो मनियन राज्य का दर्जा (Dominion Status)
   - ► सं वधान सभा के गठन का प्रस्ताव (Proposal for the formation of a Constituent Assembly)
4) **नेहरू (Nehru)** → दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील ("A rusty nail stuck in the door")

M) क्रप्स मशन (मार्च 1942) || Cripps Mission (March 1942)

1) **अध्यक्ष (Head)** → सर स्टेफोर्ड क्रप्स (लेबर पार्टी)

2) **प्रस्ताव (Proposals)**
- डो मनियन दर्जा (Dominion Status)
- भारतीय संघ (Indian Union)
- सं वधान सभा (Constituent Assembly)

3) **महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) :-** "डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनां कत चेक” / "A post-dated cheque on a crashing bank"

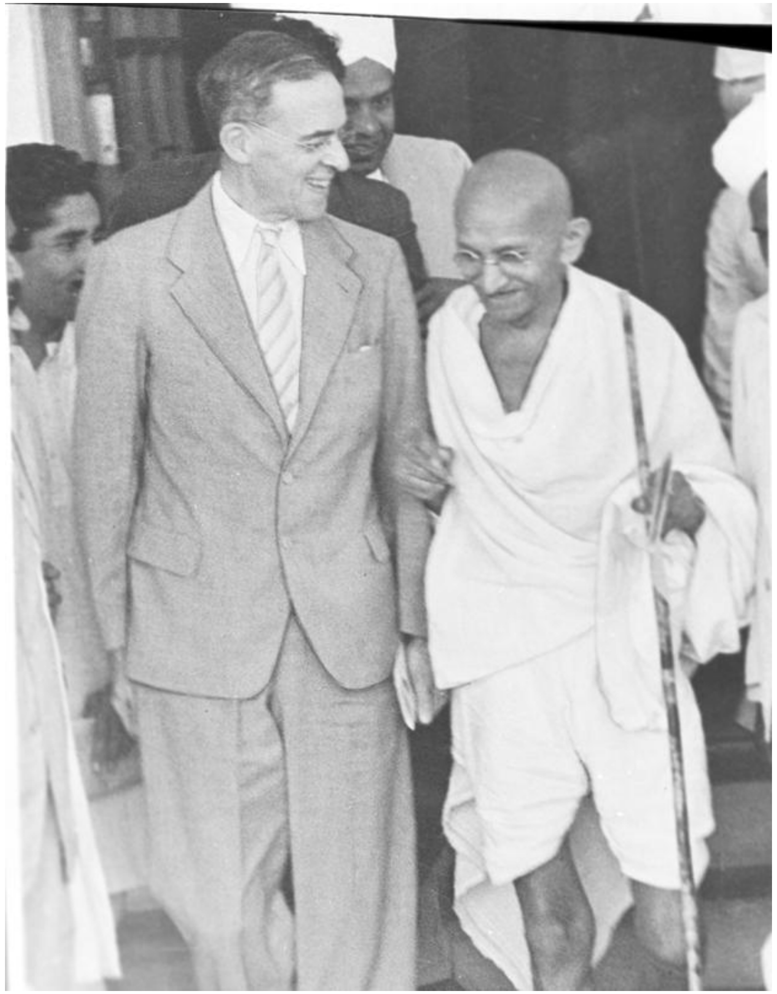

N) वेवेल योजना (1945) || Wavell Plan (1945)

1) **अक्टूबर 1943 (October 1943)** ⇒ वायसराय के रूप में वेवेल (Wavell as Viceroy)

2) **प्रावधान (Provisions)**
- अंतरिम राष्ट्रीय सरकार (Interim National Government)
- सं वधान सभा (Constituent Assembly)

चर्चा (Discussion) - शमला सम्मेलन (14 जुलाई 1945) / Shimla Conference (14 July 1945)

O) कैबिनेट मशन (1946)

24 मार्च 1946 दिल्ली आगमन

- घोषणा - फरवरी, 1946
- 15 मार्च, 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमंस

03 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री

- पै थक लॉरेंस (भारत स चव)
- स्टैफोर्ड क्रप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री)
- प्रधानमंत्री

मुख्य उद्देश्य

- सं वधान सभा का गठन
- अंतरिम सरकार की स्थापना
- भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण

16 मई 1946 योजना

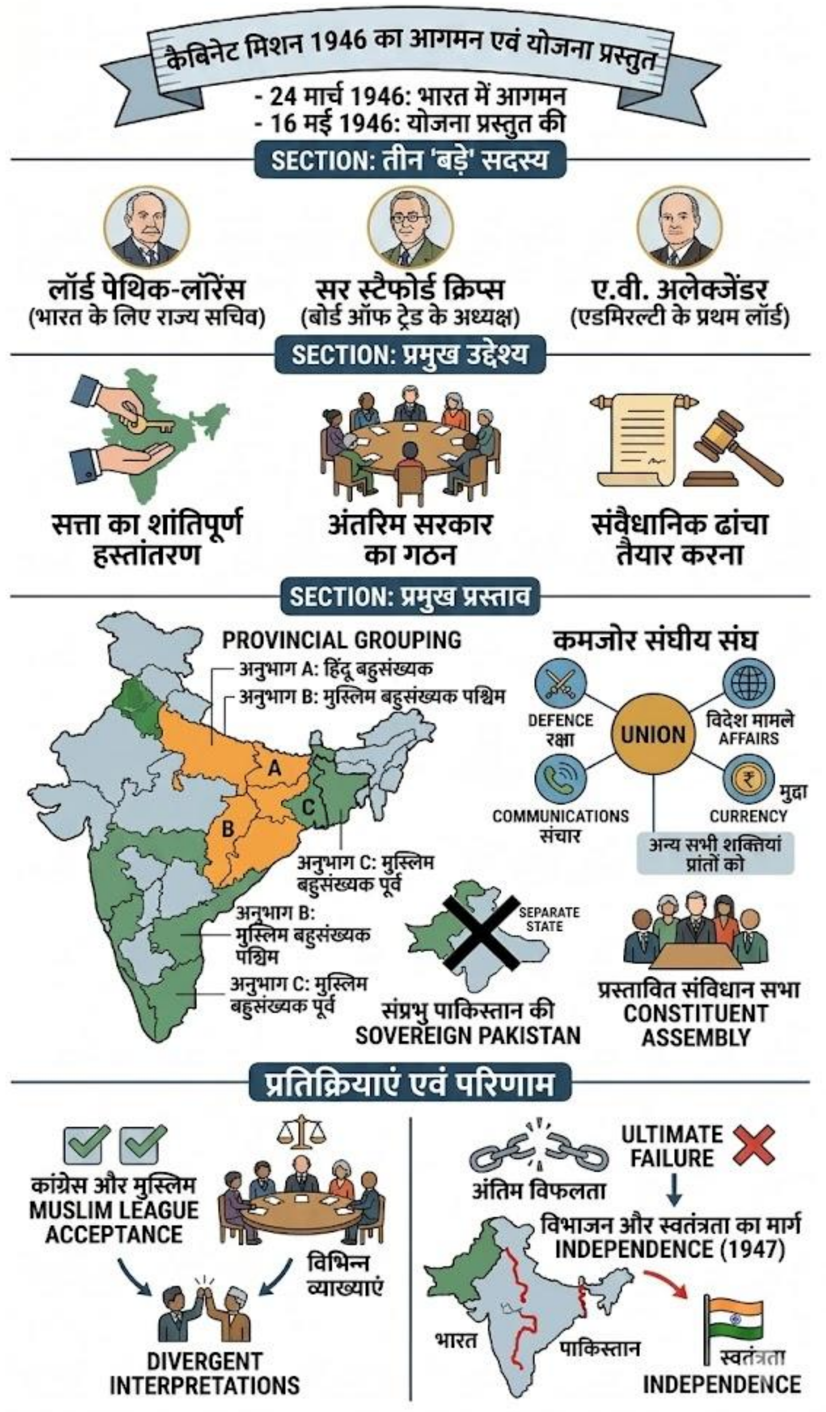

O) Cabinet Mission (1946)

Arrival in Delhi — 24 March 1946

- Announcement - February 1946
- On 15 March 1946, Prime Minister Attlee announced in the House of Commons

03 British Cabinet Ministers

- Pethick Lawrence (Secretary of State for India)
- Stafford Cripps (President of the Board of Trade)
- A. V. Alexander (Naval Minister)
- Prime Minister Clement Attlee

Main Objectives

- Formation of the Constituent Assembly
- Establishment of an Interim Government
- Peaceful transfer of power in India

16 May 1946 Plan

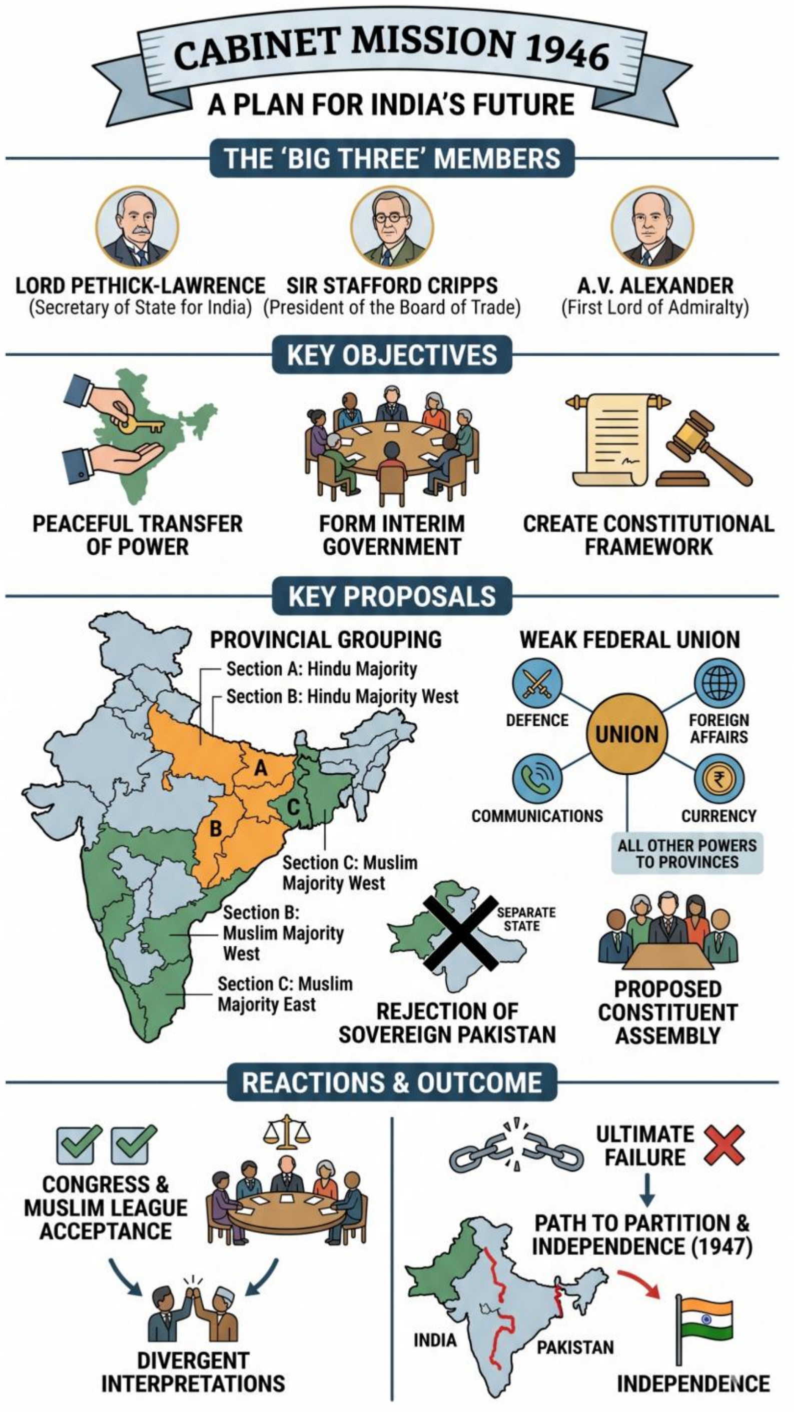

1) **पा कस्तान (Pakistan)** ⇒ अस्वीकार (Rejected)

2) **त्रिस्तरीय भारत संघ का निर्माण (Formation of Three-tier Indian Union) :-**

- संघ : कमजोर (Union : Weak)
- प्रांत : शक्तिशाली (Provinces : Powerful)

3) **प्रांतों का समूहीकरण (Grouping of Provinces)** → A, B तथा C (A, B and C)

4) **सं वधान सभा का गठन (Formation of Constituent Assembly)**
- → सदस्य : 389 (Members : 389)
- → अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)

⇩

दिसंबर 1946 सं वधान सभा का गठन (December 1946 – Constitution of Constituent Assembly)

⇩

2 सतंबर 1946 : अंतरिम सरकार का गठन (2 September 1946 : Formation of Interim Government)

P) भारतीय स्वतंत्रता अ धनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

ब्रिटिश संसद में पेश → 4 जुलाई, 1947	राजशाही स्वीकृति → 18 जुलाई, 1947	लागू → 15 अगस्त, 1947

1) दो स्वतंत्र डो मनियन की स्थापना → भारत और पा कस्तान
2) वॉयसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों देशों के लए अलग-अलग गवर्नर-जनरल का पद सृजित कया गया।
3) भारत स चव (Secretary of State for India) का पद समाप्त
4) ब्रिटिश सम्राट की उपा ध से "भारत का सम्राट" (Emperor of India) शब्द हटा दिया गया।
5) सं वधान सभाओं को संप्रभुता
6) अंतरिम शासन की व्यवस्था → भारत सरकार अ धनियम, 1935
7) देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy) समाप्त

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री **क्लीमेंट एटली** (लेबर पार्टी)
- स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल **लॉर्ड माउंटबेटन** बने (नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई)।
- पहले और अंतिम *भारतीय* गवर्नर-जनरल **सी. राजगोपालाचारी**
- पा कस्तान के पहले गवर्नर-जनरल **मोहम्मद अली जिन्ना**